

नगर परिषद संतोषगढ़, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल०ए०)-खण्ड-iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद संतोषगढ़ के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखों का अंकेक्षण निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 1-04-2023 से 31-03-2024 तक नगर परिषद संतोषगढ़ में निम्नलिखित बतौर अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहें :-

(i) अध्यक्ष :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री मति निर्मला देवी	01.04.2023 से 31.03.2024

(ii) कार्यकारी अधिकारी एवं आहरण व वितरण अधिकारी :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री संदीप कुमार, कार्यकारी अधिकारी	01-04-2023 से 06-06-2023
2	श्री विश्व मोहन देव चौहान, उप मंडलाधिकारी (नागरिक), ऊना	07-06-2023 से 05-11-2023
3	श्री इकवाल सिंह, नायब तहसीलदार मैहतपुर	06.11.2023 से 11.02.2024
4	श्री मति किरण देवी, नायब तहसीलदार मैहतपुर	12.02.2024 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

नगर परिषद संतोषगढ़ के अवधि 04/23 से 03/24 के लेखों के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	पैरा सं.	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि (₹ लाखों में)
1	5 (ख)	अनुदानों के उपयोग हेतु शेष बची राशि	909.42
2	10.1, 10.5, 10.9, 10.10, 10.16 व 10.17	गृहकर, दुकान किराये, मोबाइल टावर स्थापना / नवीनीकरण शुल्क, चूल्हा कर, तहबजारी की बकाया व Buy-back of Non-recyclable and Single Use Plastic Waste including plastic bags की वसूली हेतु शेष राशि की वसूली न करना	155.87
3	10.2	गृहकर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण वित्तीय हानि	12.16
4	10.8	दुकानों के किराये पर जी.एस.टी. की वसूली न करने बारे	1.68
5	10.13	घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में कम वसूली करना	28.23
6	11.1	पेंशन और ग्रेज्युटी निधि में नियोक्ता अंशदान कम जमा करना	61.51
7	13.6	प्रशासनिक अनुमोदन के बिना निर्माण कार्यों का निष्पादन करना	47.32

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरांत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के (परिशिष्ट-क) पर दिया गया है। प्रायः देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जोकि अत्यंत चिंताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान / कार्यवाही सुनिश्चित करें तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर परिषद संतोषगढ़ के लेखों अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री संजीव कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 31-08-2024 से

01-10-2024 तक नगर परिषद संतोषगढ़ के कार्यालय में निष्पादित किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट हैं। नगर परिषद के विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 03/2024 तथा व्यय के लिए माह 07/2023 का चयन किया गया।

Disclaimer :- यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद संतोषगढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत / अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर परिषद के लेखों अवधि 1-04-2023 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹20,000/- आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को भेजने हेतु, सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158/24 दिनांक 01.10.2024 द्वारा वर्तमान कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से अनुरोध किया गया व उनके द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या URB 327962 दिनांक 05.10.2024 द्वारा जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा शिमला में देय थी, निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित कर दी गई।

4 वित्तीय स्थिति :-

क) नगर परिषद द्वारा यथा (परिशिष्ट - ख) पर प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर परिषद की विभिन्न निधियों की लेखा अवधि 1-04-2023 से 31-03-2024 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

वित्तीय वर्ष 2023-24

	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
स्वयं स्त्रोत	2,27,35,175.69	37,82,816.00	38,51,406.00	3,03,69,397.69	12,41,456.50	2,91,27,941.19
अनुदान	7,30,50,202.00	4,41,62,874.00	00	11,72,13,076.00	2,62,71,265.00	9,09,41,811.00
योग	9,57,85,377.69	4,79,45,690.00	38,51,406.00	14,75,82,473.69	2,75,12,721.50	12,00,69,752.19

ख) Reconciliation of bank balances and cash book balances as on 31.03.2024

	Balance as per cash book				12,00,69,752.19
Less	1) Cheques sent to bank but not credited by bank till 31.03.24				
	Sr.No.	Cheque No.	Date	Amount (₹)	
	1	564156	30.03.2024	70,272	
	2	894144	30.03.2024	8,600	
	3	514704	30.03.2024	1,208	
	4	013027	27.03.2024	23,840	
	5	000146	28.03.2024	26,880	
					1,30,800.00
	Total				11,99,38,952.19
Add	1) Interest given by bank but less entered in cash book which were not corrected till 31.03.2024				
	Sr.No.	Account No.	Date	Amount(₹)	
	1	4015000102587876	31.03.2024	112	
	2	4015000102575978	31.03.2024	1945	
	3	4015000102575978	31.03.2024	12	
					2069.00
	Balance as per Pass Book /				11,99,41,021.19
	Bank				

ग) दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत राशि का विवरण :-

हस्तगत राशि	51,976
-------------	---------------

घ) दिनांक 31.03.2024 को अंतिम शेष का विवरण :-

क्रम. सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31-03-2024 को शेष राशि (₹)
1	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	4015000100004395	2,39,16,802.59
2	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	4015000102575978	73,067.90

3	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	4015000102587876	8,371.00
4	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	4015000102596403	848.10
5	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	4015000102601468	5,69,59,974.34
6	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया संतोषगढ़	2140107631	16,750.00
7	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया संतोषगढ़	2140082569	1,89,101.00
8	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया संतोषगढ़	2140111434	4,688.00
9	के. सी. सी. बी. संतोषगढ़	20026007203	1,57,65,609.25
10	एच.डी.एफ.सी. बैंक मैहतपुर	50100215620900	7,60,560.01
11	एच.डी.एफ.सी. बैंक मैहतपुर	50100318669982	7,98,570.00
12	पी.एल.ए.ऊना	उल्लेखित नहीं	5,504.00
13	डाकघर संतोषगढ़	उल्लेखित नहीं	164.00
		योग	9,85,00,010.19

ड.) सावधि जमा योजना में निवेशित राशि :-

क्रम सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	40150	2,13,89,035
क्रम (ग+घ+ड.) का कुल योग (51,976+9,85,00,010.19+2,13,89,035)			11,99,41,021.19

च) निवेश :-

दिनांक 31.03.2024 तक सावधिक जमा योजना के अंतर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार है, जिसका विवरण परिशिष्ट पर भी दिया गया है।

क्रम सं.	सावधि जमा योजना संख्या/बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि (₹)	ब्याज दर	अवधि
1	401500PU00011409 पी.एन.बी. संतोषगढ़	02.01.24	2,13,89,035	02.01.25	2,22,26,030	7.00	1 वर्ष

छ) सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर प्राप्त ब्याज पर ₹0.50 लाख की आयकर की कटौती बारे ।

स्वयं स्त्रोत निधि से किए सावधि जमा योजनाओं में निवेशित राशियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज में से बैंक द्वारा आयकर की कटौती की गई थी। आयकर की कटौती किन नियमों के अंतर्गत की गई थी, जबकि नगर परिषद राजकीय संस्थान (Government Institution) है, व आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (20) के अनुसार नगर परिषद/निगम को ब्याज से प्राप्त होने वाली आय पर TDS की कटौती नहीं होगी। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 155/24 दिनांक 30-09-2024 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर प्राप्त ब्याज पर ₹49,679 की आयकर की कटौती की राशि की वसूली करने के बारे में सम्बन्धित बैंक से मामला उठाया जायगा। स्त्रोत से काटे गये आय कर का विवरण निम्नानुसार है :-

Name of Bank	F.D. No	Period	Interest Accured (₹)	TDS Deducted (₹)	Balance Int. (₹)
PNB Santoshgarg	401500 DA00004517	7.09.20 to 7.09.23	338153	39538	298615
PNB Santoshgarg	401500 PU000040739	2.07.22 to 2.07.23	79534	10141	69393
			योग	49,679	

अतः बैंक से स्त्रोत पर काटे गए आयकर की प्राप्ति हेतु मामला उठाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की कटौती करवाने से परिहार किया जाए।

4.1 पेंशन एवं उपदान की निधि की वित्तीय स्थिति :-

नगर परिषद द्वारा (परिशिष्ट - ग) पर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार पेंशन एवं उपदान की निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से था :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2023-24	1,10,12,797.59	14,68,016	1,24,80,813.59	10,47,199	1,14,33,614.59

दिनांक 31.03.2024 को बैंक बचत खाते में जमा शेष राशि का विवरण :-

क्रम. सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31-03- 2024 को शेष राशि (₹)
1	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	4015000100026229	9,15,926.59
2	सावधिक निवेश में जमा राशि		1,08,85,696
		योग	₹1,18,01,622.59

4.2 सावधिक निवेश :-

दिनांक 31.03.2024 तक पेंशन एवं उपदान निधि से सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार है, जिसका विवरण (परिशिष्ट -घ) पर भी दिया गया है।

क्रम सं.	सावधि जमा योजना संख्या/बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि (₹)	ब्याज दर	अवधि
1	401500DA00004517 पी.एन.बी. संतोषगढ़	07.09.23	2295006	07.09.26	2826161	7.00	3 वर्ष
2	401500DP00002897 पी.एन.बी. संतोषगढ़	10.10.21	1555385	10.10.24	1810777	5.10	3 वर्ष
3	401500PR00007414 पी.एन.बी. संतोषगढ़	27.04.21	732382	27.04.24	855167	5.20	3 वर्ष
4	401500DA00006588 पी.एन.बी. संतोषगढ़	10.12.21	1732929	10.12.24	2017473	5.10	3 वर्ष
5	401500PU00030389 पी.एन.बी. संतोषगढ़	12.02.22	3000601	12.02.25	3493295	5.10	3 वर्ष
6	401500PU00040739 पी.एन.बी. संतोषगढ़	02.07.23	1569393	02.07.24	1678039	5.20	1 वर्ष
		योग	1,08,85,696				

अन्तर = 3,68,008 (1,18,01,622.59-1,14,33,614.59)

अन्तर के कारण :-

1	सावधि जमा खाता संख्या 401500DA00004517 अवधि 7.09.20 से 7.09.23 तक अर्जित ब्याज जिसे रोकड़ बही में दर्ज / इन्द्राज नहीं किया गया	2,98,615
2	सावधि जमा खाता संख्या 401500PU00040739 अवधि 2.07.22 से 2.07.23 तक अर्जित ब्याज जिसे रोकड़ बही में दर्ज / इन्द्राज नहीं किया गया।	69,393
		3,68,008

5 अनुदान :-

क) वित्तीय स्थिति

नगर परिषद संतोषगढ़ की अंकेक्षणाधीन अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण (परिशिष्ट - ड.) में भी दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान व्यय राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2023-24	7,30,50,202	4,41,62,874	00	11,72,13,076	2,62,71,265	9,09,41,811

ख) अनुदानों की ₹909.42 लाख उपयोग हेतु शेष :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट - च) पर प्रस्तुत विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31-03-2024 को ₹9,09,41,811/- उपयोग हेतु शेष थी, जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक या दो वर्षों के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती हैं। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों को निश्चित अवधि में उपयोग न किये जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त प्राप्त निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

ग) अनुदान रजिस्टर तैयार न करना :-

नगर परिषद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न विभागों / संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों व प्राप्त अनुदानों से किए गए व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अनुदान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुदान रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

घ) ₹262.71 लाख के अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट - च) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2023-24 दौरान व्यय की गई राशि ₹2,62,71,265.00 के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, लेकिन अनुदान राशियों को जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय किया गया, की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि नगर परिषद द्वारा अनुदान रजिस्टर को तैयार नहीं किया गया। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह / दिनांक, बिल / वाउचर संख्या इत्यादि से सम्बन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किया जाना व सम्पूर्ण अभिलेख सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके तथा व्यय की गई राशि पूर्व वर्षों में व्यय की गई राशि सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं को जारी किए जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 लेखों का संधारण

1 दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करना

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt. 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III-9337-9385 Dt. 07.09.2009, और पत्र संख्या UD-H©-15-49/2003-IV-5215-63 Dt. 19.07.2010 द्वारा सभी नगर नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accrual Basis) के आधार पर रख-रखाव किया जाए किन्तु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखा खातों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद संतोषगढ़ द्वारा इन निर्देशों की अनुपालना न करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर ही रख-रखाव किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः निदेशक, शहरी विकास

विभाग, हि०प्र० के निर्देशों की अनुपालना में लेखों को दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accrual Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाया जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accrual Basis) के आधार पर तुरन्त रख-रखाव करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

2 वित्तीय विवरणियाँ

नगर परिषद अधिनियम-1994 के अन्तर्गत तथा नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियाँ तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण में निम्न वर्णित विवरणियाँ वित्तीय वर्ष 2023-24 की अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एम सी एस/2024/1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सन्तोषगढ़ ने अवगत करवाया कि वित्तीय विवरणियों को तैयार नहीं किया गया है। अतः नगर परिषद अधिनियम-1994 के अन्तर्गत तथा Accounts Mannual में दिए गए प्रावधानों अनुसार निम्न वार्षिक लेखा विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए :-

क्र०सं०	वित्तीय विवरणी
1	तुलन पत्र (Balance Sheet)
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)
4	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Accounts)
5	लेखों पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)
6	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator)

7 बजट :-

नगर परिषद के अंकेक्षण अवधि 01.04.23 से 31.03.24 दौरान का स्वीकृत बजट एवं इसके विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	स्वीकृत बजट (₹)	वास्तविक व्यय (₹)	अंतर (₹)
2023-24	68303592	27512722	40790870

उपरोक्त विवरणी से स्वतः स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 दौरान स्वीकृत बजट से अधिक व्यय न करते हुए व्यय सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया गया था।

8 नगर परिषद के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण :-

नगर परिषद संतोषगढ़ के गत तीन वर्षों के कुल आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से था :-

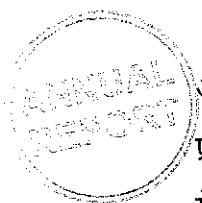
वित्तीय वर्ष	आय (स्व स्रोत + अनुदान + ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2021-22	48454577	40224980
2022-23	55706158	36684663
2023-24	51797096	27512721

9 आय :-

नगर परिषद संतोषगढ़ की विभिन्न प्राप्त आय के संबंध में निम्न अनियमितताएं पाई गई हैं, जिन्हें निम्न विवरण अनुसार वर्णित किया गया है :-

10.1 गृहकर की बकाया राशि ₹121.61 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट - छ) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.24 तक गृहकर के रूप में ₹1,21,61,756/- की वसूली शेष थी। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत्त रहती है, तो सम्बन्धित नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी लिखित रूप से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। हि०प्र० म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि



सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर भी नगर परिषद को भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उपरोक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अध्याचना संख्या 118/24 दिनांक 10.09.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृहकर की वसूली हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। अतः इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि गृह कर की वसूली हेतु हि०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 86 व 87 तथा 258 में दिए गए प्रावधानों अनुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	कुल योग (₹)	प्राप्ति (₹)	छूट (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	11598315	2554619	14152934	1789114	202064	12161756

10.2 गृहकर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण ₹12.16 लाख की वित्तीय हानि :-

निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B)(15)-4-99 दिनांक 20-06-03 के अनुसार चालू वर्ष का गृहकर का बिल जारी होने के उपरांत 10 दिनों के भीतर कर जमा करवाने पर कर की राशि पर 20% की छूट दी जानी अपेक्षित थी, परन्तु निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करवाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज लगाया जाना अपेक्षित था, अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा 20% की छूट तो दी गई थी तो दी गई थी परन्तु निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करवाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज नहीं लगाया गया था, जिसके कारण नगर परिषद को दिनांक 31.03.24 को गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि ₹1,21,61,756 पर 10% सरचार्ज के रूप में ₹12,16,175/- ($1,21,61,756 \times 10$) की वित्तीय हानि उठानी पड़ी, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अध्याचना संख्या 132/24 दिनांक 17.09.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी

नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृहकर की बकाया राशि पर सरचार्ज लगाकर आगामी वर्ष में उपभोक्ताओं को बिल भेजे जाएंगे। अतः समय पर गृहकर न चुकाने वाले गृहकरदाताओं की बकाया राशि पर नियमानुसार सरचार्ज निर्धारित करके वसूला जाना सुनिश्चित किया जाए व तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.3 गृह कर की बकाया शेष राशि का ₹76.18 लाख केवल 87 गृहकर दाताओं से ही वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान गृह कर की कुल बकाया राशि ₹1,21,61,756/- में से ₹76,18,033/- की राशि कुल 1286 गृह करदाताओं में से केवल 87 गृह करदाताओं से ही वसूली हेतु शेष थी, जबकि नगर परिषद द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएं समय-समय पर वहाँ के नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। दिनांक 31.03.24 तक गृह कर दाताओं की ₹1,21,61,756/- वसूली हेतु गृह कर की बकाया राशि में से निम्न विवरणानुसार अनुसार ₹76,18,033/- केवल 87 गृह कर दाताओं से वसूली हेतु शेष थे, जोकि कुल बकाया राशि का 62.64% है। वसूली न करने के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123/24 दिनांक 10.09.24 द्वारा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि गृह कर की बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अतः लम्बित गृहकर की राशि को शीघ्र वसूल करके की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र. स.	वार्ड सं०	गृह का नंबर	रजिस्टर पृष्ठ संख्या	गृह कर दाता का नाम (श्री/श्री मति)	दिनांक 31.03.24 तक बकाया राशि (₹)
1	1	64	3	Rajesh Kumar	30980
2	1	125/05	8	Sanjeev Kashual	63720
3	1	179/02	10	Gurbachan Singh	64800
4	1	106/g	12	Kiran Kumar	32250
5	2	12	20	Balbir Singh	54235
6	2	45	21	Somnath	34355
7	2	60/a	22	Ram Swaroop	46080
8	2	124	27	Shiv Dev	72300
9	3	34A	37	vikas chabba	33750

10	3	114A	44	Dhram singh	37912
11	3	154	46	Raj Kumar	33683
12	4	108	56	Preetam Singh	62320
13	5	1	61	Naresh Kumar	48600
14	5	146	64	Joginder singh	50123
15	5	148	65	Bakshish singh	33754
16	5	157	65	Jeet singh	31751
17	5	162	66	Puran chand	56509
18	5	166	66	Suman K	42486
19	6	18	70	Ashutosh Sharma	81000
20	6	30	71	Ashok Kumar	30775
21	6	35	71	Kedar Nath	42750
22	6	71	72	Krishan Kant	77200
23	6	102	74	Kewal Krishan	60800
24	6	109	74	Ram Kumar	49321
25	7	44	79	Surinder Saini	51730
26	7	62A	79	Kewal Krishan	46440
27	8	127	87	Som Nath	75440
28	9	117	92	Shanti Swaroop	32240
29	9	117A	92	Suresh Kumar	32240
30	1	501 , 501/1, 501/2	3	Biyasa Devi	31462
31	1	502/503	3	Pran Nath Kaushal	93679
32	1	507 to 516	3	Sudrshna Kumari	240800
33	1	517 to 518	3	Rama Kant	40305
34	1	539	7	Ashok Kumar	63390
35	1	542	7	Aswani Kumar	78971
36	2	515/521	17	Pawan Kumar	82162
37	2	533/541	17	Santokh singh	162243
38	2	542/543	17	Tez Kaur	49741
39	2	576/01 to 576/05	23	Gurnam Singh	42120
40	2	609 to 611	27	Shiv Dev Singh	107004
41	3	501/1 to 501/2	37	Jagtar Singh	34550
42	3	501/10 to 501/14	37	Krishan Om Bali	142000
43	3	502/503	37	Bishamber Dass	40609
44	3	504/505	37	Bishamber Dass	34560
45	3	518/03 to 518/06	43	Shadi Lal	84000

46	3	520	43	Chabba Udhyo	53141
47	3	521	43	Chabba Polymer	45932
48	3	Inder Palace	49	Hari Ram Saini	840000
49	3		49	Pawan Kumar Joshi	744000
50	4	501 to 506	55	Tridev Chand	40000
51	4	506/1	55	Yogesh Kumar	50752
52	4	507/01 to 507/06	55	Ramesh Chand	149367
53	4	509 to 514	55	Sham Lal	50465
54	4	532/01 to 532/04	57	Pritam Singh	44600
55	4	539	59	Hari Ram Saini	39031
56	4	540 to 545	59	Santokh singh	93247
57	4	569 to 571	60	Ram Kumar, Sulakhan	46155
58	4	604 to 605	60	Anil Kumar	34643
59	4	610 to 614	61	Jaswant Singh	55105
60	4	618/01	63	Kulwinder Kaur	118000
61	4		63	Ramesh Saini	83700
62	4		63	Kamal Dev	172000
63	5	Tower	73	Bachan Chand	70200
64	5	Tower	73	Bachan Chand	37800
65	5	515	73	Suman Sharma	158926
66	5		73	SD Public School	311940
67	6	514, 515	81	Sham Lal	32139
68	6	516 to 517	81	Varinder Bhardwaj	37555
69	6	523 to 524	83	Ravinder Vati	47118
70	6	528	83	Shashi Bala	49725
71	6	532/534	85	Har Kaur	33783
72	6	550	89	Pawan Kumar Joshi	32209
73	6	558	91	Puran Chand	38775
74	6	559	91	Puran Chand	72766
75	6	562 to 567	91	Varinder Bhardwaj	38256
76	7	512to 513	97	Durgesh Chetu	38103
77	7	566/1 to 566/7	109	Bimla Devi	61560
78	7	560/7 to 560/8	111	Ashwani Kumar	30000
79	8	502 to 504	117	veena Devi	40876

80	8	519 to 520	119	Kiran Kaushal	43200
81	8	523 TO 524	119	Ravi Kant	35269
82	8	544	127	Puran Chand Pran Nath	34635
83	8	561 to 562	129	Jagdish Kumar	45846
84	9	522	145	Shanti Sawroop	60987
85	9	523	145	Shanti Sawroop	60987
86	9	526/3	145	Bhola Devi	48600
87	9	Silver Oak Palace	147	Kulwinder Singh	759500
Total					76,18,033

10.4 नए भवनों के गृहकर का निर्धारण न करने के कारण परिषद को राजस्व हानि :-

निम्न विवरणानुसार संकलित सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 52 नंबर नवनिर्मित भवनों के मालिकों को बिजली / पानी के कनेक्शन प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C.) जारी किये गये थे, परंतु इन नवनिर्मित भवनों का न तो गृहकर निर्धारित किया गया था और न ही गृहकर की कोई वसूली की गई थी जबकि यह हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम 1994 के नियम 65 और 67 के अंतर्गत गृहकर लगाना और वसूली करना अपेक्षित था। नगर परिषद द्वारा गृहकर का निर्धारण न करना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है तथा यह नगर पालिका अधिनियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 120/24 दिनांक 10.09.24 द्वारा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा सूचित किया गया परिषद द्वारा नए भवनों का कर निर्धारण करके वसूली हेतु शीघ्र पग उठाये जाएंगे।

क्रम संख्या	गृह स्वामी का नाम व पता	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का माह
1	शशि बाला वार्ड नं 2	अप्रैल 2023
2	संजीव कौशल वार्ड नं 2	अप्रैल 2023
3	दर्शन सिंह वार्ड नं 2	अप्रैल 2023
4	नानक चंद वार्ड नं 3	अप्रैल 2023
5	दौलत राम वार्ड नं 8	अप्रैल 2023
6	दलीप कुमार वार्ड नं 7	अप्रैल 2023
7	सुलेख कुमार वार्ड नं 9	अप्रैल 2023
8	चंचल सिंह वार्ड नं 1	मई 2023
9	गुरमीत कौर वार्ड नं 7	मई 2023

10	राम नाथ वार्ड नं 8	मई 2023
11	जसवंत सिंह वार्ड नं 8	मई 2023
12	हरी कृष्ण वार्ड नं 8	मई 2023
13	जगतार सिंह वार्ड नं 2	मई 2023
14	गुरदेव सिंह वार्ड नं 2	मई 2023
15	सुभाष चंद वार्ड नं 1	मई 2023
16	श्वेतांक चब्बा वार्ड नं 3	मई 2023
17	सतीश कुमार वार्ड नं 3	जून 2023
18	कर्म सिंह वार्ड नं 3	जून 2023
19	राहुल वार्ड नं 1	जून 2023
20	बलबीर चंद वार्ड नं 8	जुलाई 2023
21	संता वार्ड नं 7	जुलाई 2023
22	गुरदियाल वार्ड नं 7	जुलाई 2023
23	हर्ष चब्बा वार्ड नं 3	जुलाई 2023
24	केदार नाथ वार्ड नं 2	जुलाई 2023
25	परमजीत सिंह वार्ड नं 5	अगस्त 2023
26	उर्मिला देवी वार्ड नं 2	अगस्त 2023
27	कमल लाल वार्ड नं 1	अगस्त 2023
28	चमन लाल वार्ड नं 3	अगस्त 2023
29	शिव कुमार वार्ड नं 2	सितम्बर 2023
30	मलकीयत सिंह वार्ड नं 5	सितम्बर 2023
31	विजय कुमार वार्ड नं 3	अक्टूबर 2023
32	सुभाष चंद वार्ड नं 4	अक्टूबर 2023
33	भंगा सिंह वार्ड नं 2	अक्टूबर 2023
34	अरविन्द शर्मा वार्ड नं 2	नवंबर 2023
35	कमल कुमार वार्ड नं 2	नवंबर 2023
36	गुरदेव चंद वार्ड नं 2	दिसम्बर 2023
37	रणदीप सिंह वार्ड नं 1	दिसम्बर 2023
38	हरभजन सिंह वार्ड नं 5	दिसम्बर 2023
39	राकेश कुमार वार्ड नं 2	दिसम्बर 2023
40	जसपाल चंद वार्ड नं 3	जनवरी 2024
41	सुरेश कुमार वार्ड नं 8	जनवरी 2024
42	सुखदेव वार्ड नं 2	फरवरी 2024
43	मूलराज वार्ड नं 3	फरवरी 2024
44	तारा सिंह वार्ड नं 1	मार्च 2024
45	अरुणा वार्ड नं 9	मार्च 2024

46	तारा देवी वार्ड नं 1	मार्च 2024
47	दर्शना देवी वार्ड नं 1	मार्च 2024
48	सुरिंदर कौर वार्ड नं 2	मार्च 2024
49	प्रकाश चंद वार्ड नं 8	मार्च 2024
50	वंदना वार्ड नं 8	मार्च 2024
51	राम रतन वार्ड नं 3	मार्च 2024
52	दिवेश कुमारी वार्ड नं	मार्च 2024

अतः दिए गए आश्वासन अनुसार नए भवनों के गृहकर का निर्धारण शीघ्र करके, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.5 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹23.89 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट - ज) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.24 तक दुकानों के किराये के रूप में ₹23,89,123/- की वसूली शेष थी। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत रहती है, तो सम्बन्धित नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी लिखित रूप से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर भी नगर परिषद को भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के उपरान्त भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अध्याचना संख्या 130/24 दिनांक 17.09.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। अतः परामर्श दिया जाता है कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु उपरोक्त वर्णित नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	कुल योग (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2021-22	2479247	845682	3324929	935806	23,89,123

10.6 दुकानों के किराये के नियमानुसार दुकानदारों के साथ अनुबंध को तैयार व नवीनीकरण न करने बारे :-

दुकानों से सम्बन्धित प्रस्तुत विभिन्न अभिलेखों का अंकेक्षण में अवलोकन करने पर पाया गया कि दुकानों के आबंटियों के साथ निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H (A) (3)-6/88 दिनांक 20.02.2002 अनुसार जारी की गई अधिसूचना संख्या LSG-F(6)-1/85-IV दिनांक 21.12.2001 की अनुपालना में जारी दिशानिर्देशों अनुसार नगर परिषद द्वारा दुकानों के अनुबंध तैयार नहीं किये गये थे। अतः उपरोक्त पत्रानुसार जारी निर्देशों की अनुपालना में दुकानों का किराया अनुबंध व नवीनीकरण न करना तथा किराये में बढ़ोतरी न किये जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए। सभी दुकानों का अनुबंध नियमानुसार तैयार न करने तथा किराये में वृद्धि न करने बारे औचित्य तथा वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 140/24 दिनांक 19.09.24 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि नगर परिषद द्वारा शीघ्र ही निदेशक शहरी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना /दिशा /निर्देशानुसार दुकानों के किराया अनुबंध नवीनीकरण बारे शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह नगर परिषद का उत्तरदायित्व है कि समय-2 पर अनुबन्ध/अनुबन्ध का नवीनीकरण करवाये तय किराये को यथा समय प्राप्त करें। अतः आबंटित दुकानों के अनुबन्ध/अनुबन्ध नवीनीकरण यथा समय करवाये जाएँ व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.7 दुकानों को किराये पर आबंटित न करने व खाली रखने के कारण नगर परिषद को ₹0.57 लाख की वित्तीय हानि :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार दुकाने किराये पर आबंटित न करने व खाली रखने के कारण किराया आय के रूप में ₹57,200/- की वित्तीय हानि हुई है :-

क्रम संख्या	दुकान संख्या	पुराना मासिक किराया	जिस अवधि के लिए दुकानें खाली रही	जितने माह दुकानें खाली रही	किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि (₹)
1)	7/2	1540	01.02.2023 से 30.09.2024	20	30,800
2)	7/3	1320	01.02.2023 से 30.09.2024	20	26,400
योग					57,200

उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अध्याचना संख्या 150/24 दिनांक 23.09.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त खाली दुकानों को किराये पर आवंटित करने हेतु कार्यवाही समय – समय पर अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं था। अतः उपरोक्त उल्लेखित दुकाने मासिक किराये पर आबंटित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दुकानों को मासिक किराये पर आबंटित न करने के कारण किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि ₹57,200/- का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के उपरान्त उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व खाली दुकानों को किराये पर देने हेतु प्रभावी कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

10.8 दुकानों के किराये पर ₹1.68 लाख जी.एस.टी. की वसूली न करने बारे :-

उपरोक्त विषय पर नगर परिषद के अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 दौरान दुकानों, खोको व भवनों से प्राप्त किराये की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 दौरान ₹9,35,806/- की वसूली की गई। वस्तुकर एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 2(69) के अनुसार नगर निकाय पर वस्तु एवं सेवाकर लगाना / वसूल करना लागू होता है परन्तु उक्त किराये पर नियमानुसार जी.एस.टी. की वसूली नहीं की गई जोकि ₹1,68,445/-(9,35,806 × 18/100) बनती है। अतः जी.एस.टी. की कटौती न करने तथा उक्त कटौती को सम्बन्धित विभाग में जमा न करने बारे औचित्य तथा वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 131/24 दिनांक 17.09.24 द्वारा का आग्रह किया गया, यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि सभी प्रकार के वैधानिक करों को इकट्ठा/उगाही करना सम्बन्धित प्राधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व है तथा किसी भी वैधानिक कर को समय पर इकट्ठा/उगाही न करने व सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाने पर यदि सम्बन्धित विभाग कोई शुल्क, जुर्माना शुल्क आदि

अधिरोपित/लगाता है तो ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का निजि होता है/होगा। जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि परिषद् द्वारा दुकानों के किराये पर नियम अनुसार जो GST वसूली नहीं की गई थी, शीघ्र दुकानदारों से वसूल करके संबंधित लेखे में जमा करवा दी जाएगी।

10.9 मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹3.36 लाख वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण में प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर परिषद की दिनांक 31.03.24 को निम्न विवरणानुसार मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क राशि ₹3,35,853/- वसूली हेतु शेष थी। प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 दिनांक 21/06/2017 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में यदि मोबाईल कम्पनियां अपने टावर लगाती है, तो उनसे ₹25000/- टावर स्थापना शुल्क तथा ₹12500/- प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित था तथा Right of way policy - 2021 के Chapter 2 Clause 6 (G) तथा सूचना एवं तकनीकी विभाग की अधिसूचना संख्या I.T(F)1-1/2020 dated 09.02.2021 अनुसार There is only provision of clearing all the outstanding Urban Department Tax or any other dues payable upon the land and building applied for installation of telegraph infrastructure. की अनुपालना में दिनांक 31.03.2024 तक जो राशि वसूली हेतु शेष थी, को नगर परिषद द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। उक्त वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 134/24 दिनांक 18.09.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि मोबाईल टावरों के स्थापना व नवीनीकरण शुल्क कि बकाया ₹ 3,35,853 की वसूली शीघ्र करके अगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार तुरंत ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

मोबाईल टावर की स्थापना व शुल्क की बकाया राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	दिनांक 31.03.24 तक वसूली योग्य राशि (₹)
1	M/S Bharti Cellular (Airtel)	58,125

2	M/S Vodafone Essar Spacetel Ltd.	62,500
3	M/S Dishnet Wireless Ltd.	1,02,500
4	M/S Idea Coummnication	62,500
5	Jio Digital Private Ltd.	25,000
	B.S.N.L.	25,228
	कुल योग	3,35,853

10.10 चुल्हा कर की बकाया ₹4.47 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट - झ) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.24 को चुल्हा कर बकाया राशि ₹4,47,650/- वसूली हेतु शेष थी तथा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त राशि की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अध्याचना संख्या 133/24 दिनांक 17.09.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 /1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि चुल्हा कर की वसूली शीघ्र करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः चुल्हा कर की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	कुल योग (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	4,47,650	00	4,47,650	00	4,47,650

10.11 सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त शुल्क ₹100/- को सरकारी कोष में जमा न करना :-

नगर परिषद के अंकेक्षण अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत (सलग्न परिशिष्ट - ज) अनुसार सूचना का अधिकार के नियम-2006 के नियम 5 तथा अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(A)(3)-2/2005-IV-1312-1372 दिनांक 29-04-2023 की अनुपालना में आर.टी.आई शुल्क के क्रमशः वर्ष 2023-24 में प्राप्त किए गए ₹100 को सरकारी कोष के Head "0070-60-108-01"(Receipt From Right to Information Act.) में जमा न करवाकर नगर परिषद द्वारा अपने

स्वयं स्रोत लेखे में जमा करवाया गया। वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 122/24 दिनांक 10.09.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यानार्थ वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सूचना का अधिकार शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹100/- को सरकारी कोष में जमा करके अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। अतः दिए आश्वासन अनुसार राशि को सरकारी कोष में जमा करवाकर, अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

10.12 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.27 लाख को सरकारी कोष में जमा न करना :-

नगर परिषद द्वारा समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2004 द्वारा जारी नियम 9 व अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण (संशोधन) नियम 2016 द्वारा जारी नियम 3 अनुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को राजकीय कोष में मद 0235-00-800-03 में अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 दौरान ₹26,850/- (परिशिष्ट - ट) अनुसार जमा करवाया जाना वांछित था। उक्त वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 121/24 दिनांक 10.09.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹ 26850/- को सरकारी कोष में जमा करके अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। अतः दिए गए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.13 घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में ₹28.23 लाख की कम वसूली करना :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि 01.04.23 से 31.03.24 तक के दौरान नगर परिषद के क्षेत्र में स्थापित घर, दुकानें, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, बैंक, होटल व ढाबे कूड़ा संग्रहण के रूप में निम्न विवरणानुसार तथा सलग्न (परिशिष्ट - "ठ") अनुसार वसूली योग्य राशि ₹1025160/- बनती थी, जिन में से नगर परिषद द्वारा घरों से ही ₹3,02,670/- वसूली की गई जबकि वसूली हेतु कुल ₹28,22,682/- राशि शेष थी, जिसकी वसूली बारे नगर परिषद द्वारा कोई भी पग नहीं उठाये गए थे। परिणाम स्वरूप नगर परिषद को एक बड़ी राशि के रूप में प्राप्त होने वाली आय से वंचित होना पड़ा, जिसका

औचित्य स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 116/24 दिनांक 09.09.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि कूड़ा संग्रहण की राशि की वसूली करने के लिए नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित घर, दुकान, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, बैंक व ढाबे इत्यादि को पत्र / नोटिस भेजे जा रहे हैं जिससे कि उक्त संस्थाओं से कूड़ा संग्रहण फीस की वसूली की जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि एक बड़ी राशि वसूली हेतु शेष है तथा तथा इसमें वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है। अतः वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

मद का नाम	दिनांक 1.04.23 को आरम्भिक शेष (₹)	संख्या	अधिसूचना अनुसार निर्धारित दरें (मासिक)	मासों की संख्या 01-04-2023 से 31-03-2024	वसूली योग्य कुल राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष राशि (₹)
घर / परिवारों की संख्या	11,97,192	1976	30	$1976 \times 30 \times 12 = 7,11,360$	19,08,552	3,02,670	16,05,882
दुकानें	8,19,000	455	50	$455 \times 50 \times 12 = 2,73,000$	10,92,000	0	10,92,000
स्कूल व आई.टी.आई.	84,000	7	200	$7 \times 200 \times 12 = 16,800$	1,24,800	0	1,24,800
बैंक		4	500	$4 \times 500 \times 12 = 24,000$			
कुल योग	2100192			1025160	31,25,352	3,02,670	28,22,682

10.14 बिजली बोर्ड से देय बिजली उपकरण की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल.एस.जी.-(डी)(1)-9/94 दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद द्वारा अपने परिक्षेत्र में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा की दर से बिजली उपकरण हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर परिषद को अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान बिजली शुल्क की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण तुरंत बिजली बोर्ड से उठाया जाए तथा उक्त अवधि के दौरान देय बिजली शुल्क की राशि को बिजली खपत के पूर्ण विवरण सहित प्राप्त करने के अतिरिक्त अपेक्षित मांग व प्राप्ति रजिस्टर का उचित संधारण किया जाना

सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 138/24 दिनांक 19.09.24 द्वारा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2023-24 हेतु बिजली उपकरण की वसूली हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से शीघ्र उठाया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार तुरंत ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10.15 आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा शराब उपकरण की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू.एल.बी.-एच(सी)(9)-28/96-1 दिनांक 01.12.99 तथा 05.04.2000 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर ₹1 प्रति बोतल की दर से शराब उपकरण आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों को शराब उपकरण भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर पंचायत को अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के दौरान शराब उपकरण की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी। जिस बारे वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने अंकेक्षण अध्याचना संख्या 139/24 दिनांक 19.09.24 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग से उपकरण की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत कर दी जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वसूली योग्य राशि की वसूली अविलम्ब की जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10.16 तह बाजारी के रूप में राशि ₹1.12 लाख वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 112/24 दिनांक 27.08.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रत्युत्तर में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.24 को निम्न विवरणानुसार तथा सलग्न (परिशिष्ट - ढ) अनुसार तह बाजारी के रूप में वसूली हेतु शेष राशि ₹1,11,650/- थी। अतः इतनी अधिक राशि की वसूली न करना एक गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को परामर्श दिया जाता है कि तह बाजारी की वसूली हेतु ठोस

कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Year	Opening Balance (₹)	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Receipts during the year (₹)	Closing Balance (₹)
2023-24	62,400	69,350	1,31,750	20,100	1,11,650

10.17 Buy-back of Non-recyclable and Single Use Plastic Waste including plastic bags की राशि ₹1.41 लाख की वसूली सम्बन्धित विभाग से न करने बारे :-

उपरोक्त विषय पर नगर परिषद के अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा तकनीकी एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या STE-F(4)-1/2017 दिनांक 01.10.2019 अनुसार 75 प्रति किलो ग्राम की दर से Single Use Plastic Waste के क्रय हेतु दिनांक 31.03.2024 तक ₹1,41,185/- का भुगतान किया गया, जिसकी वसूली सम्बन्धित विभाग से की जानी वांछित थी जोकि नगर परिषद द्वारा सम्बन्धित विभाग से नहीं की गई है, जिस बारे औचित्य तथ्यों सहित अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 137/24 दिनांक 18.09.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नगर परिषद द्वारा Single use plastic waste के क्रय हेतु भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा है। अतः राशि ₹141185/- की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.18 दिनांक 31-03-24 को ईट भट्टा मालिकों से शुल्क के रूप में देय ₹0.48 लाख वसूली हेतु शेष:-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट- ड) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 को निम्नविवरणानुसार ईट भट्टा मालिकों से शुल्क के रूप में राशि ₹48,000 वसूली हेतु शेष थी। उक्त राशि की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। चर्चा दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया कि वसूली हेतु शेष राशियों की वसूली करने उपरांत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः

उक्त शुल्क की वसूली हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष 2023-24				
आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली (₹)	दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष राशि (₹)
40,000	8000	48,000	0	48,000

11 स्थापना :-

गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹0.73 लाख का अधिक एवं अनियमित भुगतान :-

नगर परिषद संतोषगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों का अनियमित वेतन निर्धारण किया गया था।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वार्षिक वेतन वृद्धि	देय वेतन (₹)	दिया गया वेतन (₹)	अंतर (₹)
1	श्री संतोष कुमार, चालक	1.06.22	30,400	32400	2000
		1.06.23	31,300	33400	2100
2	श्री जसविंदर सिंह, कार्य पर्यवेक्षक	1.09.22	33100	35500	2400
		1.09.23	34100	36600	2500

नगर परिषद कर्मचारियों को अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक किए गये अधिक एवं अनियमित भुगतान ₹73,030 का विवरण निम्नलिखित प्रकार से था :-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	अवधि	देय वेतन (₹)	दिया गया वेतन (₹)	अन्तर (₹)	महंगाई भत्ता की दर (%)	महंगाई भत्ता (₹)	योग (₹)	मासों की संख्या	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)	कुल अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1		1.4.23 से	30,400	32400	2000	34	680	2680	2	5360	33,500

	श्री संतोष कुमार चालक	31.5.23									
		01.06.23 से 31.03.24	31300	33400	2100	34	714	2814	10	28140	
2	श्री जसविंदर सिंह कार्य पर्यवेक्षक	1.4.23 से 31.8.23	33100	35500	2400	34	816	3216	5	16080	39,530
		1.9.23 से 31.03.24	34100	36600	2500	34	850	3350	7	23450	
योग										73,030	

उक्त कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गये अधिक एवं अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या- 152/24 दिनांक 23.09.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद संतोषगढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद संतोषगढ़ के पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि गलत वेतन निर्धारण के कारण किये गये अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से कर ली जाएगी। अतः दिए गये प्रत्युत्तर अनुसार उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को संशोधित करते हुए अवधि 1.04.23 से 31.03.24 तक किए गए अधिक एवं अनियमित भुगतान **₹73,030/-** की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11.1 पेंशन और ग्रेच्युटी निधि में नियोक्ता अंशदान ₹ 61.51 लाख कम जमा करने बारे :-

H.P. Municipality Employee (Pension, Gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका द्वारा हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पेंशन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022, जो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है, के अनुसार नगर परिषद को पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि में यह अभिदान संशोधित वेतनमान के अधिकतर स्तर का जमा करना अपेक्षित है। ये नियम 3 जनवरी 2022, को अधिसूचित किए गये थे और दिनांक 01.01.2022 से लेकर वर्तमान तिथि (माह 07/2024) तक इस संशोधित वेतनमान के अंतर्गत वेतन का भुगतान नगर परिषद द्वारा किया गया है। हालांकि, यह पाया गया कि पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधियों में अभिदान अभी भी हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा नियम, 2009 के पुराने

वेतनमान के आधार पर जमा करवाया जा रहा है जबकि इसे 2022 के संशोधित वेतनमान के अनुसार जमा किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार परिशिष्ट -ण में दिए गये विवरण अनुसार, उल्लेखित अवधि से सबन्धित निधियों में ₹61,50,852/- का कम अंशदान जमा किया गया।

इसके आलावा, यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि नगर परिषद ने 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 की अवधि के लिए अभी तक बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया है। अतः इस अवधि के लिए संशोधित वेतनमान के अनुसार अंशदान की विभागीय स्तर पर गणना की जाए और सबन्धित पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधियों में जमा किया जाए व की गई अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करना :-

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 के नियम 7.14 एवं 7.15 के प्रावधानों के अनुसार सेवा पंजिकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित विवरण जैसे कि अर्जित अवकाश, स्वीकृति आदेश, वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश, तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश, सेवाकाल सत्यापन की प्रविष्टि दर्ज की जानी अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा निम्न वर्णित प्रकरणों सहित अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों में कार्यवाही करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 135/24 दिनांक 18.09.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि भविष्य में कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियम अनुसार करना सुनिश्चित किया जाएगा।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	टिप्पणी
1.	श्री हरजिंदर सिंह	लिपिक	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24
2.	श्री जसविंदर सिंह	कार्य पर्यवेक्षक	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24

3.	श्री संतोष कुमार	चालक	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24
4.	श्री यश पाल	सेवादर	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24
5.	श्री बलबीर	सफाई कर्मचारी	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24.

अतः दिए गए आश्वासन अनुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.3 कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण न करना :-

केन्द्रीय सेवा नियम (अवकाश) 1972 के नियम 26(1)(a)(i) के प्रावधान के अनुसार, कर्मचारियों के अवकाश खातों को प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी एवं प्रथम जुलाई को दो किशतों में एडवांस क्रेडिट देते हुए पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मचारियों के सन्दर्भ में अवकाश खातों को पूर्ण नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। उक्त वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अध्याचना संख्या 136/24 दिनांक 18.09.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि कर्मचारियों के अवकाश खातों को नियम अनुसार पूर्ण करना भविष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।

Sr. No	Name of employee	Designation	Period for which earned leave account not completed	Period for which H.P.L. leave account not completed
1	श्री हरजिंदर सिंह	लिपिक	01.01.2024 To 31.03.2024	

2	श्री जसविंदर सिंह	कार्य पर्यवेक्षक		01.01.2024 To 31.03.2024
3	श्री संतोष कुमार	चालक		01.01.2024 To 31.03.2024

अतः दिए गए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

व्यय :-

12.1 विज्ञापन पर अनियमित भुगतान:-

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद संतोषगढ़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 112/24 दिनांक 27.08.2024 के संदर्भ में उपलब्ध करवाई गई निम्न तालिका में संकलित सूचनानुसार **₹14,975/-** का भुगतान विज्ञापनों पर किया गया जबकि यह निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या I&PR-H(F)6(Advts)-4(App)2013-2971 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से किया जाना वांछित था। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 119/24 दिनांक 27.09.24 द्वारा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में परिषद द्वारा विज्ञापन से सम्बन्धित व्यय पर नियम/सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से ही विज्ञापन प्रकाशित किए जायेंगे।

Sr. No.	Voucher No. Date	Amount (₹)	Name & Address to whom advertisement given
1.	1133 Dated 12.04.2023	3105	Himachal Dastak
2.	1253/ Dated 24.08.2023	5935	Divya Himachal
3	1488/ Dated 15.03.2024	5935	Divya Himachal
Total		14975	

अतः भविष्य में सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से ही प्रकाशित करवाये जाएँ।

12.2 नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान Government e-Marketplace (GeM) Portal से क्रय न करने बारे :-

नगर पंचायत की अंकेक्षण अवधि 4/2023 से 3/2024 दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B)Gem-/2018-eMarket Place (Gem)-26587-648 दिनांक 22.8.2022 के अनुसार "All ULBs in the State are brought on the Government e-Marketplace (GeM) portal at the earliest" की अनुपालना में क्रय किया जाना वांछित था परन्तु नगर परिषद द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए दो क्रय वाउचरों को छोड़कर समस्त क्रय Government e-Market Place (GeM) से न करते हुए खुले बाजार से किया गया। अतः GeM Portal से क्रय न करने बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 144/24 दिनांक 23.09.24 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर परिषद संतोषगढ़ द्वारा Government e-Market Place (GeM Portel) से व प्रदेश सरकार के निगमों, बोर्डों व विभागों द्वारा निर्धारित दर संविदा की दरों के आधार पर ही क्रय करना आरम्भ कर दिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि क्रय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए सुनिश्चित किया जाए।

12.3 स्वयं स्त्रोत निधि से ₹0.34 लाख का अनियमित व्यय बारे :-

अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 के चयनित मास में वाउचर संख्या 1214 दिनांक 12.07.2023 द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान पर निम्न विवरणानुसार स्वयं स्त्रोत निधि से किया गया व्यय सबन्धित निधि पर उचित प्रभार नहीं था, क्योंकि उक्त व्यय स्वच्छ भारत मिशन अनुदान में से किया जाना अपेक्षित था। अतः स्वयं स्त्रोत निधि से किया गया व्यय ₹34,160/- का औचित्य उक्त निधि से करने तथा बिल का भुगतान देरी से करने बारे स्थिति तथ्यों सहित अंकेक्षण को अवगत करवाने अंकेक्षण अध्याचना संख्या 145/24 दिनांक 23.09.24 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि परिषद् द्वारा वाउचर संख्या 1214 दिनांक 12.7.2023 द्वारा किया गया व्यय ₹ 34,160 की वसूली / स्वयं स्त्रोत निधि में हस्तांतरण शीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वसूली सुनिश्चित करके, स्वः स्रोत में जमा करवाकर के कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम	फर्म का नाम	विवरण	व्यय राशि (₹)
1	सचिन आर्ट संतोषगढ़ बिल न.050 दिनांक 17.11.22	पेंटिंग व फ्लेक्स बोर्ड का क्रय	22,240
2	सचिन आर्ट संतोषगढ़ बिल न.217 दिनांक 17.10.22	पेंटिंग व फ्लेक्स बोर्ड का क्रय	9600
3	सचिन आर्ट संतोषगढ़ बिल न.216 दिनांक 04.08.22	पेंटिंग व फ्लेक्स बोर्ड का क्रय	2320
		योग	34,160

13 निर्माण कार्य :-

13.1 कार्य स्थल पर लाये गये एवं उपयोग किये गये निर्माण सामग्री के एवज में फॉर्म 'X' या 'W' प्राप्त किए बिना भुगतान स्वरूप राजकोष को ₹0.37 लाख की हानि तथा ₹1.10 लाख का श्रम उपकर को जमा न करना :-

प्रधान सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या खण्ड -II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.01.2012 तथा हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) (Himachal Pradesh of Industries – Geological Wing) द्वारा जारी Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and storage) Rules, 2015 की दूसरी अनुसूची में निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले क्षुद्र खनिज जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर तथा संगमरमर आदि पर समय – समय पर निर्धारित दरों के अनुसार रॉयल्टी देय है। अंकेक्षण के चयनित मास दौरान निर्माण कार्य बिलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्य स्थलों पर पत्थर, रेत, बजरी का उपयोग किया गया जिसके सन्दर्भ में **संलग्न परिशिष्ट - प** अनुसार रॉयल्टी के रूप में ₹37,440/- की राशि सरकारी कोष में देय थी तथा भुगतान से पूर्व कार्य स्थल पर लाई गई सामग्री के एवज में अनापत्ति प्रमाण पत्र (खनन विभाग से) या फॉर्म 'X' अथवा 'W' प्राप्त किया जाना अपेक्षित था जो इस बात का भी प्रमाण था कि निर्माण सामग्री जैसे कि रेत, बजरी, पत्थर, ईंटें आदि वैध स्रोत से लाई गई थी। नगर परिषद द्वारा फॉर्म 'X' अथवा 'W'/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर किया गया भुगतान पूर्णतः अनियमित है जिस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा श्रमकर के रूप में ₹1,10,361/- की राशि की कटौती तो संविदाकारों से की गई थी, परन्तु उक्त राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया था, के

बारे में अंकेक्षण को अवगत करवाने अंकेक्षण अध्याचना संख्या 151/24 दिनांक 23.09.24 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा स्पष्ट परिषद द्वारा निर्माण कार्य बिलों से कम काटी गई Royalty की राशि की वसूली संविदाकार से कर ली जाएगी तथा प्राप्त श्रम उपकर को संबंधित लेखे में शीघ्र जमा करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बिना खनन विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र/फॉर्म 'X' या 'W' के निर्माण सामग्री के एवज में भुगतान अनियमित है तथा श्रमकर को शीघ्र सम्बन्धित संस्था/विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13.2 निर्माण कार्य बिल में संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान व बिना अनुमोदन अतिरिक्त मद (Extra Item) का ₹0.26 लाख का भुगतान करना :-

अंकेक्षण में निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹1866/- का अधिक भुगतान गलत गणना के कारण किया गया था।

(i) गणना में चूक के कारण ₹1866/- का अधिक भुगतान :-

कार्य का नाम	Maintance of street & drains in various location in MC area Santoshgarh.
ठेकेदार	Smt. Sunita Devi
ठेका आवंटन पत्र संख्या	MCS/Works/2022-23/727-28. Dated 1.10.2022
माप पुस्तिका संख्या	31, पृष्ठ संख्या 90-95
वाउचर संख्या व दिनांक	1201 दिनांक 05.07.2023

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	भुगतान दर ₹	भुगतान की गई मात्रा ₹	वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अधिक भुगतान मात्रा ₹	कुल अधिक भुगतान ₹
1	1	Demolishing cement concrete etc.	900/- घ.मी.	91.898/- घ.मी.	91.57 घ.मी.	0.328 घ.मी.	295
2	3	P/L CC 1:4:8	3800/- घ.मी.	56.611 घ.मी.	56.42 घ.मी.	0.191 घ.मी.	726
3	4	P/L CC 1:2:4	5000/- घ.मी.	45.949 घ.मी.	45.78 घ.मी.	0.169 घ.मी.	845
						कुल योग	1866

(ii) बिना अनुमोदन अतिरिक्त मद (Extra Item) का ₹ 25,600/- का भुगतान :-

निम्न विवरणानुसार उक्त वर्णित निर्माण कार्य में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना अतिरिक्त मद का निष्पादन करने के कारण संविदाकार को ₹25,600/- का भुगतान किया गया था जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	भुगतान दर ₹	भुगतान की गई मात्रा ₹	भुगतान राशि (₹)
1	11	Laying RCC In soak pit etc.	3200/- प्रति	8 न.	25,600
				कुल योग	25,600

उपरोक्त को तथ्यों सहित वस्तुस्थिति व नगर परिषद के दृष्टिकोण से अंकेक्षण से अवगत करवाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 156/24 दिनांक 30.09.24 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ₹1866 की संबंधित संविदाकार से वसूली करके परिषद लेखे में जमा करवा दी जायेगी तथा अतिरिक्त मद का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके अगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः दिए गए आश्वासन अनुसार की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13.3 निर्माण कार्य बिल में संविदाकार को ₹1352/- का अधिक भुगतान व बिना अनुमोदन अतिरिक्त मद (Extra Item) का ₹0.04 लाख का भुगतान करना :-

अंकेक्षण में निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹1352/- का अधिक भुगतान गलत गणना के कारण किया गया था।

(i) गणना में चूक के कारण ₹1352/- का अधिक भुगतान :-

कार्य का नाम	Improvement of drainage system near H/O Harish Kumar Moh. Jatpur W.No. 1 Santoshgarh.
ठेकेदार	Sh. Varun Prashar
ठेका आवंटन पत्र संख्या	MCS/Works/2022-23/579. Dated 27.08.2022
माप पुस्तिका संख्या	31, पृष्ठ संख्या 89-90
वाउचर संख्या व दिनांक	1202 दिनांक 05.07.2023

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	भुगतान दर ₹	भुगतान की गई मात्रा ₹	वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अधिक भुगतान मात्रा ₹	कुल अधिक भुगतान ₹
3	4	P/L CC 1:2:4	4953/- घ.मी.	26.253 घ.मी.	25.98 घ.मी.	0.273 घ.मी.	1352
						कुल योग	1352

(ii) बिना अनुमोदन अतिरिक्त मद (Extra Item) का ₹ 4140/- का भुगतान :-

निम्न विवरणानुसार उक्त वर्णित निर्माण कार्य में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना अतिरिक्त मद का निष्पादन करने के कारण संविदाकार को ₹4140/- का भुगतान किया गया था जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	भुगतान दर ₹	भुगतान की गई मात्रा ₹	भुगतान राशि (₹)
1	11	P/L PVC pipe.	920/- प्रति मीटर	4.5 मीटर	4140
				कुल योग	4140

उपरोक्त को तथ्यों सहित वस्तुस्थिति व नगर परिषद के दृष्टिकोण से अंकेक्षण से अवगत करवाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 157/24 दिनांक 30.09.24 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि ₹1352 की संबंधित संविदाकार से वसूली करके परिषद लेखे में जमा करवा दी जायेगी। तथा अतिरिक्त मद का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके राशी अगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जायेगा। अतः दिए गए आश्वासन अनुसार कार्यवाही करके, अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13.4 निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवाकर किया गया अनियमित भुगतान :-

परिशिष्ट 'फ' पर दिए गए प्रकरणों में नगर परिषद् संतोषगढ़ द्वारा C.P.W.D. कोड 2014 के पैरा 24.1.2. ए के प्रावधानों तथा निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या UD.H(F)(1)/2000-Instructions10698-10746 दिनांक 24.09.2005 के अनुसार अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व किसी भी निर्माण कार्य के निष्पादन में आए कम / अधिक विचलन (Deviation) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाये जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु नगर

परिषद संतोषगढ़ द्वारा अंकेक्षणवधि के दौरान निष्पादित करवाये गये निर्माण कार्यों के बिलों की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया है कि परिशिष्ट 'फ' में वर्णित प्रकरणों में कुल कार्य निष्पादित अवार्ड राशि से कम अथवा अधिक राशि के लिये हुआ था तदपि इनके अन्तिम बिलों का भुगतान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/नियमितीकरण के बिना ही किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 148/24 दिनांक 23.09.24 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर परिषद द्वारा परिषद की अगामी बैठक में प्रस्तुत कर विचलन को स्वीकृत करवा दिया जायेगा। उतर संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त अनुमोदन बारे औचित्य निर्देशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्रानुसार जारी निर्देशानुसार दिया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13.5 निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवेहलना तथा सम्बन्धित अभिलेख को तैयार न करना:-

निर्माण कार्यों के बिलों का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 12 में निर्माण कार्य निष्पादन से सम्बन्धित प्रावधित नियमों की अनुपालना न करने के दृष्टिगत निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई थी, जिनका यथोचित समाधान करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए:-

- (i) लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा टेंडर में भरी गई दरों को बाजारी मूल्य के साथ तार्किकता के आधार (justification of rates) पर परखा जाता है परन्तु नगर परिषद द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रावधान की पूर्ण अवेहलना करते हुए किसी भी निर्माण कार्य के आवंटन से पूर्व (justification of rates) तैयार नहीं किए गए थे।
- (ii) ठेकेदारों द्वारा टेंडर में दी गई दरों के लिए तैयार तुलनात्मक विवरणी में इनकी तुलना शैड्यूल की दरों से करते हुए कम अथवा आधिक्य प्रतिशतता को भी नहीं दर्शाया गया था।
(percentage above or below the scheduled rates not being referred in comparative statement of tendered rates)
- (iii) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 201 के अनुसार कार्य की पूर्णता पर सम्बन्धित अभियंता द्वारा प्रारूप एम० डब्ल्यू-14 पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

उपरोक्त त्रुटियों के सन्दर्भ में करवाए गए निर्माण कार्यों को नगर परिषद के दृष्टिकोण से न्यायोचित ठहराने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 149/24 दिनांक 23.09.24 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम सी एस / 2024 / 1551 दिनांक 03.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा सम्बंधित अभिलेख तैयार कर दिया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त अभिलेख को सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतःसरकार/विभाग द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

13.6 प्रशासनिक अनुमोदन के बिना ₹47.32 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन :-

उप सचिव, शहरी विकास विभाग, शिमला-2 हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू.डी.- ए.(3)5/2007 दिनांक 10.03.2010 के नियम 2(3) के अनुसार नगर पालिका ₹5/- लाख तक के कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम है व ₹5/- लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य था। लेकिन जाँच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद संतोषगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹5/- लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के बगैर किया गया है जोकि अनियमित है। निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना करवाए गए ₹47,31,795/- के कार्यों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (₹)
1	C/O material recovery facility at SWm site.	19,87,054
2	Maintenance of streets & drains in various location MC area.	9,98,362
3	Constructions of community centre in ward no.4	8,08,200
4	CiO toilets block near old NP Office.	9,38,179
	कुल योग	47,31,795

उक्त प्रकरण को परिषद के कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ चर्चा दौरान लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि निदेशक, शहरी विकास विभाग,

हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अतः कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 अन्य :-

(i) कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान रजिस्टर को तैयार एवं अद्यतन (Update) करने के उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति क्रमशः ₹5,17,97,096 व व्यय ₹2,75,12,721 दर्शाया गया है, परन्तु वर्णित आय व व्यय की मदवार खाता बहियों को तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण अंकेक्षण में यह पुष्टि सम्भव न हो सकी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिस शीर्ष के अंतर्गत जितनी आय प्राप्त की गई थी क्या वास्तव में उस शीर्ष के अंतर्गत उतनी ही आय प्राप्त की गई है व जिस शीर्ष के अंतर्गत जितना व्यय दर्शाया गया था, वास्तव में उस शीर्ष के अंतर्गत उतना ही व्यय किया गया है। अतः शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करने के उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाएँ।

(iii) बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना :-

नगर परिषद द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय पर नियन्त्रण रखा जा सके। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

122-124

%

07 JAN 2025

(अनिल कुमार मेहरा)

उप निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009.

फोन नं0 0177-2626670

पृष्ठांकन संख्या :- V(25) फिन(एल0ए0)-खण्ड-8 दिनांक: शिमला-171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या: (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।
- पंजीकृत 3 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सन्तोषगढ़, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

07 JAN 2025

%

(अनिल कुमार मेहरा)

उप निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009.

फोन नं0 0177-2626670

परिशिष्ट - (क) पैरा संख्या -1 (ग) से संदर्भित

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :-

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1970 से 3/1980

1)	पैरा - 9 (i)	अनिर्णीत
2)	पैरा - 9 (vi)	अनिर्णीत
3)	पैरा - 10 (i)(ii)	अनिर्णीत
4)	पैरा - 11 (ए)	अनिर्णीत
5)	पैरा - 12 (ए)	अनिर्णीत
6)	पैरा - 13 (ए)(बी)	अनिर्णीत
7)	पैरा - 13 (ई) से (जी)	अनिर्णीत
8)	पैरा - 13 (एल)	अनिर्णीत
9)	पैरा - 13 (एस)	अनिर्णीत
10)	पैरा - 13 (टी)	अनिर्णीत
11)	पैरा - 13 (यू)	अनिर्णीत
12)	पैरा - 13 (डब्ल्यू)	अनिर्णीत
13)	पैरा - 13 (जैड) (ए० सी०)	अनिर्णीत
14)	पैरा - 13 (जैड) (ए० डी०)	अनिर्णीत
15)	पैरा - 13 (जैड) (ए० ई०)	अनिर्णीत
16)	पैरा - 14	अनिर्णीत
17)	पैरा - 16 (ए) से (ई)	अनिर्णीत
18)	पैरा - 17 (ए)	अनिर्णीत
19)	पैरा - 17 (डी)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1980 से 3/1981

1)	पैरा - 6 (बी)	अनिर्णीत
2)	पैरा - 7 (बी)	अनिर्णीत
3)	पैरा - 9	अनिर्णीत
4)	पैरा - 10 (सी)	अनिर्णीत

5)	पैरा - 10 (ई)	अनिर्णीत
6)	पैरा - 10 (एफ)	अनिर्णीत
7)	पैरा - 12 (ए) से (सी)	अनिर्णीत
8)	पैरा - 13	अनिर्णीत
9)	पैरा - 15 (एच)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1981 से 3/1984

1)	पैरा - 7	अनिर्णीत
2)	पैरा - 16	अनिर्णीत
3)	पैरा - 19 (बी)	अनिर्णीत
4)	पैरा - 23 (ए)	अनिर्णीत
5)	पैरा - 27	अनिर्णीत
6)	पैरा - 37 (बी) (iii)	अनिर्णीत
7)	पैरा - 39	अनिर्णीत
8)	पैरा - 40 (ए) (बी)	अनिर्णीत
9)	पैरा - 40 (बी) (i) से (vi)	अनिर्णीत
10)	पैरा - 41	अनिर्णीत
11)	पैरा - 41 (ए) से (ओ)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1984 से 03/1985

1)	पैरा - 15 (6)(7)	अनिर्णीत
2)	पैरा - 15 (9)	अनिर्णीत
3)	पैरा - 15 (12) से (15)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1985 से 03/1986

1)	पैरा - 5	अनिर्णीत
2)	पैरा - 15 (3)	अनिर्णीत

(च) श्री टी० आर० लखनपाल परीक्षक का दिनांक 28.04.1987 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण

1)	पैरा - 1 (ए)	अनिर्णीत
----	--------------	----------

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1986 से 03/1987

1)	पैरा - 7 (i) से (iii)	अनिर्णीत
2)	पैरा - 8	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1991

1)	पैरा - 5 (क)	अनिर्णीत
2)	पैरा - 5 (ग) से (ज)	अनिर्णीत
3)	पैरा - 6 (ख) से (ड.)	अनिर्णीत
4)	पैरा - 6 (छ) (i)	अनिर्णीत
5)	पैरा - 6 (ज)	अनिर्णीत
6)	पैरा - 7 (क)	अनिर्णीत
7)	पैरा - 8	अनिर्णीत
8)	पैरा - 9 (क) से (ड.)	अनिर्णीत
9)	पैरा - 11	अनिर्णीत
10)	पैरा - 12	अनिर्णीत
11)	पैरा - 13	अनिर्णीत
12)	पैरा - 14 (क) व (ख)	अनिर्णीत
13)	पैरा - 15 (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
14)	पैरा - 16 (क)	अनिर्णीत
15)	पैरा - 17 (क) (ख)	अनिर्णीत
16)	पैरा - 18	अनिर्णीत
17)	पैरा - 19 (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
18)	पैरा - 20 (क) (ख)	अनिर्णीत
19)	पैरा - 21	अनिर्णीत
20)	पैरा - 22 (क) से (ग)	अनिर्णीत
21)	पैरा - 24	अनिर्णीत
22)	पैरा - 25 (क) (ख)	अनिर्णीत

23)	पैरा - 26	अनिर्णीत
24)	पैरा - 27 (क)	अनिर्णीत
25)	पैरा - 28	अनिर्णीत
26)	पैरा - 29 (ख)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 3/1995

1)	पैरा - 3 (क)	अनिर्णीत
2)	पैरा - 5	अनिर्णीत
3)	पैरा - 6 (ख) से (घ)	अनिर्णीत
4)	पैरा - 6 (ज)	अनिर्णीत
5)	पैरा - 7 (क)	अनिर्णीत
6)	पैरा - 9 (क) से (घ)	अनिर्णीत
7)	पैरा - 9 (viii)	अनिर्णीत
8)	पैरा - 9 (ix)	अनिर्णीत
9)	पैरा - 9 (x)	अनिर्णीत
10)	पैरा - 9 (xii)	अनिर्णीत
11)	पैरा - 9 (xiii)	अनिर्णीत
12)	पैरा - 9 (xiv)	अनिर्णीत
13)	पैरा - 9 (xvii)	अनिर्णीत
14)	पैरा - 9 (xviii)	अनिर्णीत
15)	पैरा - 9 (xxiv)	अनिर्णीत
16)	पैरा - 9 (xxvii)	अनिर्णीत
17)	पैरा - 9 (xxviii)	अनिर्णीत
18)	पैरा - 9 (xxx)	अनिर्णीत
19)	पैरा - 9 (xxxii)	अनिर्णीत
20)	पैरा - 9 (xxxv)	अनिर्णीत
21)	पैरा - 9 (xxxviii)	अनिर्णीत
22)	पैरा - 9 (xL)	अनिर्णीत

23)	पैरा - 9 (xLv)	अनिर्णीत
24)	पैरा - 9 (xLvi)	अनिर्णीत
25)	पैरा - 9 ((xLviii)	अनिर्णीत
26)	पैरा - 13 (i)	अनिर्णीत
27)	पैरा - 13 (ii)	अनिर्णीत
28)	पैरा - 13 (viii)	अनिर्णीत
29)	पैरा - 13 (ix)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1995 से 3/2004

1)	पैरा - 19	अनिर्णीत
2)	पैरा - 21	अनिर्णीत
3)	पैरा - 25	अनिर्णीत
4)	पैरा - 27	अनिर्णीत
5)	पैरा - 28	अनिर्णीत
6)	पैरा - 29	अनिर्णीत
7)	पैरा - 30	अनिर्णीत
8)	पैरा - 32	अनिर्णीत
9)	पैरा - 33	अनिर्णीत
10)	पैरा - 34	अनिर्णीत
11)	पैरा - 37	अनिर्णीत
12)	पैरा - 39	अनिर्णीत
13)	पैरा - 41	अनिर्णीत
14)	पैरा - 42	अनिर्णीत
15)	पैरा - 46	अनिर्णीत
16)	पैरा - 47	अनिर्णीत
17)	पैरा - 48	अनिर्णीत
18)	पैरा - 49	अनिर्णीत
19)	पैरा - 50	अनिर्णीत

20)	पैरा - 51	अनिर्णीत
21)	पैरा - 52	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 3/2010

1)	पैरा - 6 (7)(1) से (3)	अनिर्णीत
2)	पैरा - 8 (1)(i)(ii)	अनिर्णीत
3)	पैरा - 8 (4)	अनिर्णीत
4)	पैरा - 8 (5)	अनिर्णीत
5)	पैरा - 8 (6)(i)(ii)	अनिर्णीत
6)	पैरा - 9 (2)	अनिर्णीत
7)	पैरा - 9 (5)	अनिर्णीत
8)	पैरा - 9 (6) (i)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 3/2012

1)	पैरा - 4 (ग)	अनिर्णीत
2)	पैरा - 5 (ख) (ii)	अनिर्णीत
3)	पैरा - 5 (घ)	अंशत निर्णीत
4)	पैरा - 6 (ख) (v)	अंशत निर्णीत
5)	पैरा - 6 (ख) (vi)	अंशत निर्णीत
6)	पैरा - 6 (ख) (vii)	अंशत निर्णीत
7)	पैरा - 7	अनिर्णीत
8)	पैरा - 8 (ख)	अनिर्णीत
9)	पैरा - 8 (ग)	अनिर्णीत
10)	पैरा - 12 (घ)	अनिर्णीत
11)	पैरा - 22	अनिर्णीत
12)	पैरा - 23	अनिर्णीत
13)	पैरा - 29 (ख)	अनिर्णीत
14)	पैरा - 29 (ग)	अनिर्णीत
15)	पैरा - 30 (ख)	अनिर्णीत

16)	पैरा - 31	अनिर्णीत
-----	-----------	----------

(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 3/2014

1)	पैरा - 4 (ग) (1) से (3)	अनिर्णीत
2)	पैरा - 6 (ग) से (छ)	अनिर्णीत
3)	पैरा - 7	अनिर्णीत
4)	पैरा - 8 (घ) से (छ)	अनिर्णीत
5)	पैरा - 9 (छ)	अंशत निर्णीत
6)	पैरा - 9 (झ) से (ञ)	अंशत निर्णीत
7)	पैरा - 12	अनिर्णीत
8)	पैरा - 13	अनिर्णीत
9)	पैरा - 16	अनिर्णीत
10)	पैरा - 17	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 3/2016

1)	पैरा - 6	अनिर्णीत	
2)	पैरा - 7	अनिर्णीत	
3)	पैरा - 8	अनिर्णीत	
4)	पैरा - 9.2	अनिर्णीत	
5)	पैरा - 10.2	अनिर्णीत	
6)	पैरा - 14	अनिर्णीत	
7)	पैरा - 16	अनिर्णीत	
8)	पैरा - 17	अनिर्णीत	
9)	पैरा - 18	अनिर्णीत	
10)	पैरा - 19	अनिर्णीत	
11)	पैरा - 20 (क)	अनिर्णीत	
12)	पैरा - 20 (ख)	अनिर्णीत	
13)	पैरा - 21	अनिर्णीत	
14)	पैरा - 26	अनिर्णीत	

15)	पैरा - 27	अनिर्णीत	
16)	पैरा - 28 (i)	अनिर्णीत	
17)	पैरा - 28 (ii)	अनिर्णीत	
18)	पैरा - 29	अनिर्णीत	
19)	पैरा - 30 (ख)	अनिर्णीत	
20)	पैरा - 30 (ग)	अनिर्णीत	
21)	पैरा - 30 (ड.)	अनिर्णीत	
22)	पैरा - 30 (च)	अनिर्णीत	
23)	पैरा - 31	अनिर्णीत	
24)	पैरा - 32	अनिर्णीत	
25)	पैरा - 33	अनिर्णीत	
26)	पैरा - 34	अनिर्णीत	
27)	पैरा - 35	अनिर्णीत	
28)	पैरा - 36	अनिर्णीत	
29)	पैरा - 37	अनिर्णीत	
30)	पैरा - 38	अनिर्णीत	

(त) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2016 से 3/2018

1)	पैरा- 7 (घ)	अनिर्णीत	
2)	पैरा- 8 (ग)	अनिर्णीत	
3)	पैरा - 9 (ख)	अनिर्णीत	
4)	पैरा - 9 (ग)	अनिर्णीत	
5)	पैरा - 10 (ख)	अनिर्णीत	
6)	पैरा - 15	अनिर्णीत	
7)	पैरा - 16	अनिर्णीत	
8)	पैरा - 17	अनिर्णीत	
9)	पैरा - 18	अनिर्णीत	
10)	पैरा - 19	अनिर्णीत	

11)	पैरा - 20	अनिर्णीत	
12)	पैरा - 21	अनिर्णीत	
13)	पैरा - 21 (ख)	अनिर्णीत	
14)	पैरा - 21 (ग)	अनिर्णीत	
15)	पैरा - 22	अनिर्णीत	
16)	पैरा - 23	अनिर्णीत	
17)	पैरा - 24	निर्णीत	₹2364 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
18)	पैरा - 25	अनिर्णीत	
19)	पैरा - 26	अनिर्णीत	
20)	पैरा - 27	अनिर्णीत	
21)	पैरा - 28	अनिर्णीत	
22)	पैरा - 29 (i)	अनिर्णीत	
23)	पैरा - 29 (ii)	अनिर्णीत	
24)	पैरा - 29 (iii)	अनिर्णीत	
25)	पैरा - 29 (iv)	अनिर्णीत	
26)	पैरा - 29 (v)	अनिर्णीत	
27)	पैरा - 29 (vi)	अनिर्णीत	
28)	पैरा - 30 (i)	अनिर्णीत	
29)	पैरा - 30 (ii)	अनिर्णीत	
30)	पैरा - 31 (क)	अनिर्णीत	
31)	पैरा - 31 (ख)	अनिर्णीत	
32)	पैरा - 31 (ग)	अनिर्णीत	
33)	पैरा - 31 (घ)	अनिर्णीत	

(थ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 3/2020

1)	पैरा- 4 (ड)	अनिर्णीत	
2)	पैरा- 7 (ग)	अनिर्णीत	

3)	પૈરા- 7 (ઘ)	અનિર્ણીત	
4)	પૈરા- 8 (ગ)	અનિર્ણીત	
5)	પૈરા- 9 (ખ)	અનિર્ણીત	
6)	પૈરા- 9 (ગ)	અનિર્ણીત	
7)	પૈરા- 9 (ઘ)	અનિર્ણીત	
8)	પૈરા- 9 (ઙ)	અનિર્ણીત	
9)	પૈરા- 9 (ચ)(i)	અનિર્ણીત	
10)	પૈરા- 9 (ચ)(ii)	અનિર્ણીત	
11)	પૈરા- 9 (છ)	અનિર્ણીત	
12)	પૈરા- 14	અનિર્ણીત	
13)	પૈરા- 15	અનિર્ણીત	
14)	પૈરા- 18	અનિર્ણીત	
15)	પૈરા- 19	અનિર્ણીત	
16)	પૈરા- 20	અનિર્ણીત	
17)	પૈરા- 21	અનિર્ણીત	
18)	પૈરા- 22	અનિર્ણીત	
19)	પૈરા- 23	અનિર્ણીત	
20)	પૈરા- 24	અનિર્ણીત	
21)	પૈરા- 25	અનિર્ણીત	
22)	પૈરા- 26	અનિર્ણીત	
23)	પૈરા- 27	અનિર્ણીત	
24)	પૈરા- 28 (i)	અનિર્ણીત	
25)	પૈરા- 28(ii)	અનિર્ણીત	
26)	પૈરા- 29	અનિર્ણીત	
27)	પૈરા- 30 (i)	અનિર્ણીત	
28)	પૈરા- 30 (ii)	અનિર્ણીત	
29)	પૈરા- 30 (ખ)(i)	અનિર્ણીત	

30)	पैरा- 30 (ख)(ii)	अनिर्णीत	
31)	पैरा- 31	अनिर्णीत	
32)	पैरा- 32 (i)	अनिर्णीत	
33)	पैरा- 32 (ii)	अनिर्णीत	
34)	पैरा- 32 (iii)	अनिर्णीत	
35)	पैरा- 33 (i)	अनिर्णीत	
36)	पैरा- 33 (ii)	अनिर्णीत	
37)	पैरा- 33 (iii)	अनिर्णीत	
38)	पैरा- 34	अनिर्णीत	
39)	पैरा- 35	अनिर्णीत	
40)	पैरा- 36 (i)	अनिर्णीत	
41)	पैरा- 36(ii)	अनिर्णीत	
42)	पैरा- 36 (iii)	अनिर्णीत	
43)	पैरा- 37 (क)	अनिर्णीत	
44)	पैरा- 37 (ख)(i)	निर्णीत	₹504 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
45)	पैरा- 37 (ख)(ii)	निर्णीत	₹300 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
46)	पैरा- 37 (ख)(iii)	निर्णीत	₹16382 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
47)	पैरा- 38	अनिर्णीत	
48)	पैरा- 39 (i)	निर्णीत	₹486 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
49)	पैरा- 39 (ii)	निर्णीत	₹854 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
50)	पैरा- 40	अनिर्णीत	
51)	पैरा- 41	अनिर्णीत	
52)	पैरा- 42	अनिर्णीत	
53)	पैरा- 43	अनिर्णीत	
54)	पैरा- 44 (i)	अनिर्णीत	
55)	पैरा- 44(ii)	अनिर्णीत	
56)	पैरा- 44 (iii)	अनिर्णीत	

57)	पैरा- 44 (iv)	अनिर्णीत	
58)	पैरा- 45 (क)	अनिर्णीत	
59)	पैरा- 45 (ख)	अनिर्णीत	
60)	पैरा- 46	अनिर्णीत	
61)	पैरा- 47(क)	अनिर्णीत	
62)	पैरा- 47 (ख)	अनिर्णीत	
63)	पैरा- 47 (ग)	अनिर्णीत	
64)	पैरा- 47 (घ)	अनिर्णीत	

(द) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 3/2022

8)	पैरा- 8	अनिर्णीत	
12)	पैरा- 10 (ग)	अनिर्णीत	
13)	पैरा- 10 (घ)	अनिर्णीत	
14)	पैरा- 11(क)	अनिर्णीत	
15)	पैरा- 11(ख)	अनिर्णीत	
18)	पैरा- 13 (ख)	अनिर्णीत	
19)	पैरा- 13 (ग)	अनिर्णीत	
23)	पैरा- 17	अनिर्णीत	
28)	पैरा-20 (क)	अनिर्णीत	
29)	पैरा-20 (ख)	अनिर्णीत	
30)	पैरा-20 (ग)	अनिर्णीत	
31)	पैरा-21	अनिर्णीत	
32)	पैरा-22	अनिर्णीत	
33)	पैरा-23	अनिर्णीत	
34)	पैरा-24	अनिर्णीत	
36)	पैरा-26	अनिर्णीत	
37)	पैरा-27	अनिर्णीत	

38)	पैरा-28	अनिर्णीत	
39)	पैरा-29	अनिर्णीत	
40)	पैरा-30	अनिर्णीत	
41)	पैरा-31	अनिर्णीत	
42)	पैरा-32	अंशत निर्णीत	₹2928 की वसूली की पुष्टि उपरान्त तथा शेष क्रम संख्या 1 व 3 बारे कार्यवाही शेष है
43)	पैरा-33	निर्णीत	₹5923 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
44)	पैरा-34	अनिर्णीत	
45)	पैरा-35 (क)	निर्णीत	₹378 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
46)	पैरा-35 (ख)	निर्णीत	₹173 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
47)	पैरा-35 (ग)	निर्णीत	₹1628 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
48)	पैरा-36	अनिर्णीत	
49)	पैरा-37	अनिर्णीत	
50)	पैरा-38	अनिर्णीत	
51)	पैरा-39	अनिर्णीत	
52)	पैरा-41	अनिर्णीत	
53)	पैरा-42	अनिर्णीत	
54)	पैरा-43	अनिर्णीत	
55)	पैरा-44	अनिर्णीत	
56)	पैरा-45	अनिर्णीत	
57)	पैरा-46	अनिर्णीत	
58)	पैरा-47	अनिर्णीत	
59)	पैरा-48	अनिर्णीत	
60)	पैरा-49 (1)	अनिर्णीत	
61)	पैरा-49 (2)	अनिर्णीत	
62)	पैरा-49 (3)	अनिर्णीत	
63)	पैरा-50	अनिर्णीत	

64)	पैरा-51 (क)	अनिर्णीत	
65)	पैरा-51 (ख)	अनिर्णीत	
67)	पैरा-53 (क)	अनिर्णीत	
68)	पैरा-53 (ख)	अनिर्णीत	
69)	पैरा-53 (ग)	अनिर्णीत	
70)	पैरा-53 (घ)	अनिर्णीत	
72)	पैरा-55	अनिर्णीत	
73)	पैरा-56	अनिर्णीत	
74)	पैरा-57	अनिर्णीत	
75)	पैरा-58	अनिर्णीत	
76)	पैरा-59	अनिर्णीत	
77)	पैरा-60	अनिर्णीत	

(ध) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 3/2023

1	पैरा- 3	निर्णीत	स्वत निर्णीत
2	पैरा- 4	अनिर्णीत	
3	पैरा- 5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 5.3 पर पुनः प्रारूपित
4	पैरा-6	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 5 पर पुनः प्रारूपित
5	पैरा- 7	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या-5 च पर पुनः प्रारूपित
6	पैरा- 8	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 8 पर पुनः प्रारूपित
7	पैरा- 9(1)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या-5.1 पर पुनः प्रारूपित
8	पैरा- 9(2)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 5.2 पर पुनः प्रारूपित

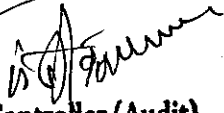
9	पैरा- 9(3)	अनिर्णीत	
10	पैरा- 10(1)	निर्णीत	नवीनतम स्तिथि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या-6 क पर पुनः प्रारूपित
11	पैरा- 10(2)	निर्णीत	नवीनतम स्तिथि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 6 ख पर पुनः प्रारूपित
12	पैरा- 10(3)	निर्णीत	नवीनतम स्तिथि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 6 घ पर पुनः प्रारूपित
13	पैरा- 11	अनिर्णीत	
14	पैरा- 12(1)(I)	निर्णीत	नवीनतम स्तिथि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 10.1 पर पुनः प्रारूपित
15	पैरा- 12(II)	अनिर्णीत	
16	पैरा- 12(III)	अनिर्णीत	
17	पैरा- 12(III) क	अनिर्णीत	
18	पैरा- 12(V)	अनिर्णीत	
19	पैरा- 12(2)(I)	निर्णीत	नवीनतम स्तिथि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 10.5 पर पुनः प्रारूपित
20	पैरा- 12(2)(II)	अनिर्णीत	
21	पैरा- 12(3)	निर्णीत	नवीनतम स्तिथि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या-10.10 पर पुनः प्रारूपित
22	पैरा-12(4)	निर्णीत	नवीनतम स्तिथि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या-10.18 पर पुनः प्रारूपित
23	पैरा- 12(5)	अनिर्णीत	
24	पैरा- 12(6)(I)	अनिर्णीत	
25	पैरा- 12(6)(II)	अनिर्णीत	
26	पैरा- 12(7)(I) व (II)	अनिर्णीत	
27	पैरा- 12(8)	निर्णीत	नवीनतम स्तिथि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या-10.13 पर पुनः प्रारूपित

28	पैरा- 12(9)	अनिर्णीत	
29	पैरा- 12(10)	अनिर्णीत	
30	पैरा- 12(11)	अनिर्णीत	
31	पैरा- 13	अनिर्णीत	
32	पैरा- 14(1)	निर्णीत	₹383 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
33	पैरा- 14(2)	निर्णीत	₹2331 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
34	पैरा- 14(3)	अनिर्णीत	
35	पैरा- 14(4)	अनिर्णीत	
36	पैरा- 14(5)	निर्णीत	₹2670 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
37	पैरा- 14(6)	निर्णीत	₹23725 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
38	पैरा- 14(7)	अनिर्णीत	
39	पैरा- 14(8)	अनिर्णीत	
40	पैरा- 14(9)	अनिर्णीत	
41	पैरा- 14(10)	अनिर्णीत	
42	पैरा- 15	अनिर्णीत	
43	पैरा- 16	अनिर्णीत	
44	पैरा- 17(1 से 4)	अनिर्णीत	

पैरा संख्या 5 के संदर्भित पारिशिष्ट सं

वित्तीय वर्ष 2023-24

	आरम्भिक शेष	आय	व्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्वयं स्त्रोत	2,27,35,175.69	37,82,816.00	38,51,406.00	3,03,69,397.69	12,41,456.50	2,91,27,941.19
अनुदान	7,30,50,202.00	4,41,62,874.00	00	11,72,13,076.00	2,62,71,265.00	9,09,41,811.00
योग	9,57,85,377.69	4,79,45,690.00	38,51,406.00	14,75,82,473.69	2,75,12,721.50	12,00,69,752.19

Signed

 Assistant Controller (Audit)
 H.P. State Audit Department
 Shimla-171009

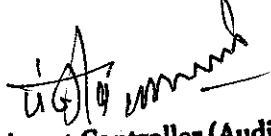

 Executive Officer,
 Municipal Council, Santokhgarh

Executive Officer,
Municipal Council, San Francisco

Shimizu-171000
H. P. State Audit Department
Assistant Controller (Audit)

Reconciliation of bank balances and cash book balances as on 31.03.2024

	Balance as per cash book				12,00,69,752.19
Less	1) Cheque sent to bank but not credited by bank till 31.03.24.				
	Sr. No	Cheque No	Date	Amount	
	1	564156	30-03-2024	70,272	
	2	894144	30-03-2024	8,600	
	3	514704	30-03-2024	1,208	
	4	013027	27-03-2024	23,840	
	5	000146	28-03-2024	26,880	1,30,800.00
			Total		11,99,38,952.19
Add	1) Interest given by bank but less entered in cash book which were not corrected till 31.03.24.				
	Sr. No	Account No.	Date	Amount	
	1	4015000102587876	31.03.2024	112	
	2	4015000102575978	31.03.2024	1945	2069.00
	3	4015000102575978	31.03.2024	12	
	Balance as per Pass Book / Bank				11,99,41,021.19

C/S

 Assistant Controller (Audit)
 H.P. State Audit Department
 Shimla-171009


 Executive Officer,
 Municipal Council, Santokhgarh

Executive Officer
Municipal Council, Springfield

Stimula-171008
H. P. State Audit Department
Assistant Controller (Audit)

घ) दिनांक 31.03.2024 को अंतिम शेष का विवरण :-

क्रम. स.	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31-03-2024 को शेष राशि (₹)
1	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	4015000100004395	2,39,16,802.59
2	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	4015000102575978	73,067.90
3	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	4015000102587876	8,371.00
4	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	4015000102575978	848.10
5	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	4015000102601468	5,69,59,974.34
6	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया संतोषगढ़	2140107631	16,750.00
7	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया संतोषगढ़	2140082569	1,89,101.00
8	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया संतोषगढ़	2140111434	4,688.00
9	के. सी. सी. बी. संतोषगढ़	20026007203	1,57,65,609.25
10	एच.डी.एफ.सी. बैंक मैहतपुर	50100215620900	7,60,560.01
11	एच.डी.एफ.सी. बैंक मैहतपुर	50100318669982	7,98,570.00
12	पी.एल.ए. ऊना	उल्लेखित नहीं	5,504.00
13	डाकघर संतोषगढ़	उल्लेखित नहीं	164.00
		योग	9,85,00,010.19

CS
Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Executive Officer,
Municipal Council, Santokhgarh

Executive Officer
Municipal Council, San Antonio

Assistant Controller (1/1/70)
State Audit Department
1-171800

क्रम	सावधि जमा योजना संख्या/बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	व्याज दर	अवधि
1	401500PU00011409 पी.एन.बी. संतोषगढ़	02.01.24	2,13,89,035	02.01.25	2,22,26,030	7.00	1 वर्ष


 Assistant Controller (Audit)
 H.P. State Audit Department
 Shimla-171009


 Executive Officer,
 Municipal Council, Santokhgarh

पैरा संख्या 5.1 के संदर्भित परीक्षा 3

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2023-24	1,10,12,797.59	14,68,016	1,24,80,813.59	10,47,199	1,14,33,614.59

दिनांक 31.03.2024 को बैंक वचत खाते में जमा शेष राशि का विवरण :-

क्रम. स.	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31-03-2024 को शेष राशि
1	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	4015000100026229	9,15,926.59
2	सावधिक निवेश में जमा राशि		1,08,85,696
		योग	1,18,01,622.59

CS

 Assistant Controller (Audit)
 H.P. State Audit Department
 Shimla-171009

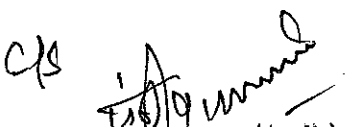

 Executive Officer,
 Municipal Council, Santokhgarh

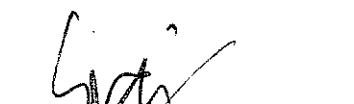
Executive Officer
Municipal Council, Sanokhgarh

2/10/11-11/11/11
M. H. Sanokhgarh
A. S. Sanokhgarh

११ सितम्बर २०२१ के सन्दर्भ पर पारित 'घ'

क्रम	सावधि जमा योजना संख्या/बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	व्याज दर	अवधि
1	401500DA00004517 पी.एन.बी. संतोषगढ़	07.09.23	2295006	07.09.26	2826161	7.00	3 वर्ष
2	401500DP00002897 पी.एन.बी. संतोषगढ़	10.10.21	1555385	10.10.24	1810777	5.10	3 वर्ष
3	401500PR00007414 पी.एन.बी. संतोषगढ़	27.04.21	732382	27.04.24	855167	5.20	3 वर्ष
4	401500DA00006588 पी.एन.बी. संतोषगढ़	10.12.21	1732929	10.12.24	2017473	5.10	3 वर्ष
5	401500PU00030389 पी.एन.बी. संतोषगढ़	12.02.22	3000601	12.02.25	3493295	5.10	3 वर्ष
6	401500PU00040739 पी.एन.बी. संतोषगढ़	02.07.23	1569393	02.07.24	1678039	5.20	1 वर्ष
		योग	1,08,85,696				


 Assistant Controller (Audit)
 H.P. State Audit Department
 Shimla-171009


 Executive Officer,
 Municipal Council, Santokhgarh

100

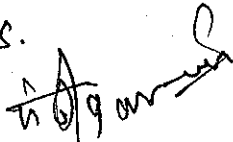
Executive Officer,
Municipal Council, San Francisco

Assistant Com.
State Audit Bureau
1900

११ सेंटें 6(क) के सन्दर्भ में ०१/११/१२ 'ड'?

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	ब्याज	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय राशि	अन्तिम शेष
2023-24	7,30,50,202	4,41,62,874	00	11,72,13,076	2,62,71,265	9,09,41,811

C.S.



Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Executive Officer,
Municipal Council, Santokhgarh

Executive Officer
Municipal Council, Sanikiluaq

2000-01-01
H.R. 2000-01-01
Department of
Shinai-1

25

**Executive Officer,
Municipal Council, Santokhgarh**

DC	Community Centre near Baba Balak Nath Centre W. No. 8 Santokhgarh (with Manerga convergence) Mahal:	Total =	382	18-08-23	1113495.00	500000.00	2100000.00	3213495.00	500951.00	2712544.00	Not Sent
					15000000.00	0.00	0.00	15000000.00	0.00	15000000.00	Not Sent
					2045.00	0.00	0.00	2045.00	0.00	2045.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total =			75000.00	0.00	0.00	75000.00	75000.00	0.00	Not Sent
					977290.00	0.00	0.00	977290.00		977290.00	Not Sent
		Total =			-3293926.00	0.00	0.00	-3293926.00		-3293926.00	
G.Total=					73050202.00	44162874.00	117213076.00	26271265.00	90941811.00		

95
Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Executive Officer,
Municipal Council, Santokhgarh

65

11/12/2021 10:10 AM 11/12/2021 10:10 AM

Details of House Tax 2023-24

Opening Balance	Demand	Total	Collection	Rebate	Balance
11598315.00	2554619.00	14152934.00	1789114.00	202064.00	12161756.00

45.

[Signature]

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

[Signature]

Executive Officer
Municipal Council,
Sardulgarh, Distt. Una (H.P.)

CHURCH OF THE
116-118
CHURCH OF THE
CHURCH OF THE

$$\frac{11}{12} \frac{1}{29011} 10.5 \frac{9}{16} \frac{1}{142197} \frac{11}{11812102}$$

Detail of Shop Rent 2023-24

Opening Balance	Demand	Total	Collection	Balance as on 31-03-2024
24,79,247	8,45,682	33,24,929	9,35,806	23,89,123

**Executive Officer
Municipal Council,
Sardodhgarh, Dist. Una (H.P.)**

2007-11-09
15:00:00
Vp. Control (Vp.0)

85-

1/12/2023 10.10 AM 1/12/2023 10.10 AM

Detail of Chulla Tax 2023-24

Opening Balance	Demand	Total	Collection	Balance
4,47,650.00	00.00	4,47,650.00	00.00	4,47,650.00

CPS

1/12/2023

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

1/12/2023

68

[illegible]

-88-
1/12/2024 10.11 के स-द-म-ए
विकास के

Municipal council Santokhgarh RTI record 1 April 2023-2024 TO 31 March 2023-2024

Sr. No.	No. of RTI request	Amount of fee collection 2023-2024
1	10	100

CLC.
Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

6/11/24
10.11 के स-द-म-ए
विकास के

69

$\frac{1}{\sqrt{x-2}}$

Month	April 2023	May 2023	June 2023	July 2023	Aug 2023	Sep. 2023	Oct. 2023	Nov. 2023	Dec. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024	March. 2024	Total
Marriage Registration & Certification	2500	2050	950	1800	2050	900	900	1350	3150	2900	2650	5650	26850

Amma



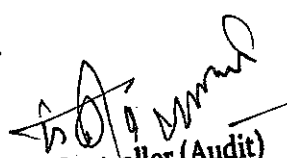
2

[illegible]

88
पैरा संख्या 10/13 के संदर्भित प्रारंश 42-8

घर- घर, व्यवस्थिक संस्थानों, दुकानदारों, स्कूलों व आईटीआई, बैंकों से कूड़ा उठाने में वसूली गई राशी का विवरण
1.4.2023-31.3.2024

क्रमांक	मद का नाम	आरंभिक शेष	संख्या	दर प्रति माह	मांग		योग	वसूली गई राशी	दिनांक 31.3.2024 को वसूली हेतु शेष राशी
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
							(2 + 5)		(6-7)
1	परिवारों की संख्या	1197192	1976	30	1976*30*12=	711360	1908552	302670	1605882
2	दुकानों की संख्या	819000	455	50	455*50*12=	273000	1092000	0	1092000
3	स्कूलों और आईटीआई	84000	7	200	7*200*12=	16800	124800	0	124800
4	बैंक		4	500	4*500*12=	24000	3125352	302670	
		2100192	योग		1025160		3125352	302670	2822682

Q.S.

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Executive Officer,
Municipal Council, Santokhgarh

71

33

25

Executive Officer,
Municipal Council, San Francisco

Shimizu-17-100
H.P. State Audit Commission
Assistant Controller (Audit)

- 29

११/०१/२०२३ से ३१.३.२०२४ तक

तहबजारी के रूप में वसूली गई राशी का विवरण अवधि 1.4.2023 से 31.3.2024 तक

क्रमांक	गली विक्रेताओं की संख्या	आरंभिक शेष	संख्या	दर प्रति दिन	मांग	योग	वसूली गई राशी	वसूली हेतु शेष राशी	
	1	2	3	4	5	6 2+5	7	8	
1	19	62400	19	10	10 * 365 = 3650	3650 * 19 = 69350	131750	20100	111650

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

11/01/2023 से 31.03.2024 तक

72

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHITECTURE
NEW YORK

90

॥ अर्थ १०-१८ अ-२१२८ ११२१२८ (१२)

Detail of Brick Killan Industry 2023-2024

Sr No.	Name	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Balance
1	GB Industry	32,000.00	4,000.00	36,000.00	00.00	36,000.00
2	Jai Jagdambay	8,000.00	4,000.00	12,000.00	00.00	12,000.00

G. Total = 48,000

015.

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

SHIMLA DISTRICT (H.P.)

73

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

Winnipeg Council, Saskatchewan
Executive Officer

92.
11/12/2018
13.1
18/12/2018

Sr. No	Name Of Work	Agency Name	Material consumption	M.B No.	M-form Required	M-Form Submitted	M-Form Pending	Rate /MT	Amount pending as per requirement
1	Maintenance of street and drains in various location of MC area Santokhgarh Distt. Una (H.P)	Smt. Sunita Devi (Govt. cont.)	A) (1:4:8) 56.61CUM B) (1:2:4) 45.94 CUM C) (1:1.5:3) 17.47 CUM	M.B- 31,Page no.90-95	248 MT	190 MT	58 MT	Rs 80/-	Rs 4,640/-
2	Improvement of Drainage System on Sehjowal Road in Ward No. 4 MC Santokhgarh Distt Una (H.P)	Harsh Vardhan (Govt. Cont.)	A) (1:4:8) 5.28CUM B) (1:2:4) 3.47CUM C) (1:2:4)RCC 10.43CUM	M.B-36,Page no.98-99	41 MT	9 MT	32MT	Rs 80/-	Rs 2,560/-
3	Improvement of Drainage System near House of Harish Jattpur In Ward No. 1 MC Santokhgarh Distt Una (H.P)	Varun Prashar (Govt. cont.)	A) (1:4:8) 39.35CUM B) (1:2:4) 26.25 CUM	M.B-31,Page no.89-90	136 MT	0 MT	136 MT	Rs 80/-	Rs 10,880/-
4	Improvement of Drainage System near old Nagar Panchayat Office in Ward No. 4 MC Santokhgarh Distt Una (H.P)	Bhupinder Singh (Govt. Cont.)	A) (1:4:8) 19.87CUM B) (1:3:6) 36.41CUM C) (1:1.5:3) 19.74 CUM	M.B-31,Page no.87-89	165 MT	12 MT	153 MT	Rs 80/-	Rs 12,240/-
5	Construction of Community Centre in Ward No. 4	Bhisham Kumar (Govt. Cont.)	A) (1:4:8) 22.67 CUM B) (1:1.5:3) 20.22CUM	M.B-36,Page no.99-102	89 MT	0 MT	89 MT	Rs 80/-	Rs 7,120/-
Grand Total Amount = ₹ 37,440/-									

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

कर्मचारी अधिकारी,
नगर पालिका सन्तोखगढ़
जिला ऊना (हि०प्र०)



Detail of Labour Cess during the period 1-04-2023 to 31-03-2024

Sr. No.	Name of Work	MB No.	Page No.	Completion Cost	Labour Cess Deducted	Labour Cess Deposited	Labour Cess less deposited
1	C/O Material Recovery Facility at SWM Site Santokhgarh	36	93-97	1095729.00	10957.00	0.00	10957.00
2	Improvement of drainage system on Sehjowal Road W. No. 4-3	36	97-98	170326.00	1703.00	0.00	1703.00
3	Maintenance of Streets & drain in various location MC area	31	90-95	1092734.00	10927.00	0.00	10927.00
4	Improvement of drainage system near h/o Makhan Singh, h/o Harish W. No. 4	31	89-90	507400.00	5074.00	0.00	5074.00
5	Improvement of drainage system near Old N.P. Office W. No. 4	31	87-88	664537.00	6645.00	0.00	6645.00
6	Construction of Community Centre in W. No. 4	36	99-102	410220.00	4102.00	0.00	4102.00
7	C/o Path from h/o Yaspal towards Sanoli Road in W. No. 3	37	22-25	539886.00	5399.00	0.00	5399.00
8	Improvement of Retaining Wall near h/o B.S. Attari W. No. 1	37	37-38	69640.00	696.00	0.00	696.00
9	Improvement of Path from Una Road to near h/o B.S. Attari W. No. 1	37	39-40	367695.00	3677.00	0.00	3677.00
10	Improvement of Street & drainage system from Opp. Vishwakarma Mandir to h/o Hari Ram W. No. 4	37	26-31	453003.00	4530.00	0.00	4530.00
11	Improvement of street & drainage system near sati Mata Mandir to h/o Sewa Singh W. No. 4	37	40-46	395574.00	3957.00	0.00	3957.00
12	Improvement of drainage system & Path near h/o Bassi, Sawtanter & Charanjit in W. No. 2	37	53-54	439250.00	4393.00	0.00	4393.00
13	Improvement of Drainage system from shop of Harbans Lal to Sabji Mandi (R.S.)	37	59-60	350352.00	3504.00	0.00	3504.00
14	C/O Path Shani Mandir near h/o Yashpal in W. No. 1	38	15-16	441666.00	4417.00	0.00	4417.00
15	Improvement of street & drainage system from Nangal Road to CHC	38	9--10	208913.00	2089.00	0.00	2089.00
16	Improvement of drainage system from Main Bazar to Moh. Darjian W. No. 9	37	69-70	345542.00	3455.00	0.00	3455.00
17	Improvement of Path from Una Road to near h/o B.S. Attari W. No. 1, Phase-II	37	85	122445.00	1224.00	0.00	1224.00
18	Improvement of drainage system from Ghatte Wala Khuh to Moh. Nayian W. No. 8 (LHS))	37	81-82	321796.00	3218.00	0.00	3218.00

76

94

19	Improvement of Drainage system from shop of Harbans Lal to Sabji Mandi (L.S.)	37	79-80	223379.00	2234.00	0.00	2234.00
20	Improvement of Nallah near Om Enterprises along Haroli Road W. No. 4	37	77-78	256027.00	2560.00	0.00	2560.00
21	Improvement of street & draianage system from MC Park to h/o Mohan Lal W. No. 5	37	93-94	521546.00	5215.00	0.00	5215.00
22	Improvement of Nallah along Sehjowal Road near Sabji Mandi W. No. 7	37	95-96	117347.00	1173.00	0.00	1173.00
23	precast Slabe on open drain in various wards	39	20	67885.00	679.00	0.00	679.00
24	Extension of Nalla Moh. Sadha & Bus Stand W. No.3	39	18-19	67885.00	718.00	0.00	718.00
25	Improvement of drain near h/o Ram Kishan Moh. Darjian W. No. 9	39	16-17	41830.00	418.00	0.00	418.00
26	Improvement of drain near h/o Parkash Chand Moh. Darjian W. No. 9	39	14-15	46451.00	465.00	0.00	465.00
27	Improvement of Retaining Wal near Guatam Indusetry W. No.1	39	23-24	60026.00	600.00	0.00	600.00
28	Improvement of Drainage system near h/o Roop Lal W. No. 6	39	21-22	52439.00	524.00	0.00	524.00
29	Improvement of drain near Mohalla Khatyan Una Road in W. No. 1	37	100-101	78235.00	782.00	0.00	782.00
30	Improvement of drainage system from Main Bazar to Moh. Darjian W. No.9	39	34-35	266526.00	2665.00	0.00	2665.00
31	Improvement of drainage system from Ghatte Wala Khuh to Moh. Naylan W. No. 8	39	32-33	536098.00	5361.00	0.00	5361.00
32	C/O Toilet Block near Old N.P. Office W. No. 4(1st Running Bill)	37	10--20	286727.00	2867.00	0.00	2867.00
33	C/O Toilet Block near Old N.P. Office W. No. 4(2nd Running Bill)	38	17-32	413316.00	4133.00	0.00	4133.00
Total Labour Cess =							110361.00

95.
 Assistant Controller (Audit)
 H.P. State Audit Department
 Shimla-171009

काशकरी अधिकारी,
 नगर परिषद सतीखण्ड,
 जिला ऊना (हि०प्र०)

77

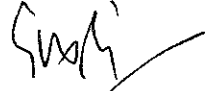
2000

2

2000

Discussion Certificate

Certified that the objections raised in current Audit report of Municipal Council, Santokhgarh for the period of 01-04-2023 to 31-03-2024 have been discussed with the undersigned.


**Executive Officer,
Municipal Council, Santokhgarh
Santokhgarh.**

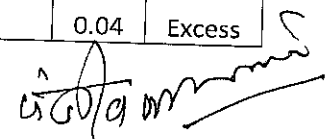
Executive Office
Principal Council, Southampton

परिशिष्ट - 'क'
ANNEXURE -
पैरा संख्या 13.4 में अ-द्वितीय

Sr.no	Name of Work	MB No.	Page No.	Tender Amount	Total Expenditure	Difference	%age	Excess & Lesser
1	C/O Material Recovery Facility at SWM Site Santokhgarh	36	93-97	1933390.00	1095729.00	837661.00	43%	Lesser
2	Improvement of drainage system on Sehjowal Road W. No. 4-3	36	97-98	158081.00	170326.00	12245	7.74	Excess
3	Maintenance of Streets & drain in various location MC area	31	90-95	848414.00	1092734.00	244320	28.79	Excess
4	Improvement of drainage system near h/o Makhan Singh, h/o Harish W. No. 4	31	89-90	460363.00	507400.00	47037	10.21	Excess
5	Improvement of drainage system near Old N.P. Office W. No. 4	31	87-88	470869.00	664537.00	193668	41.12	Excess
6	Construction of Community Centre in W. No. 4	36	99-102	649955.00	410220.00	239735	36.88	Lesser
7	c/o Path from h/o Yaspal towards Sanoli Road in W. No. 3	37	22-25	461190.00	539886.00	78696	17.06	Excess
8	Improvement of Retaining Wall near h/o B.S. Attri W. No. 1	37	37-38	75823.00	69640.00	6183	8.15	Lesser
9	Improvement of Path from Una Road to near h/o B.S. Attri W. No. 1	37	39-40	346425.00	367695.00	21270	6.13	Excess
10	Improvement of Street & drainage system from Opp. Vishawkarma Mandir to h/o Hari Ram W. No. 4	37	26-31	419318.00	453003.00	33685	8.03	Excess
11	Improvement of street & drainage system near sati Mata Mandir to h/o Sewa Singh	37	40-46	360545.00	395574.00	35029	9.71	Excess

	W. No. 4							
12	Improvement of drainage system & Path near h/o Bassi, Sawtanter & Charanjit in W. No. 2	37	53-54	409442.00	439250.00	29808	7.28	Excess
13	Improvement of Drainage system from shop of Harbans Lal to Sabji Mandi (R.S.)	37	59-60	360173.00	350352.00	9821	2.72	Lesser
14	C/O Path Shani Mandir near h/o Yashpal in W. No. 1	38	15-16	449078.00	441666.00	7412	1.65	Lesser
15	Improvement of street & drainage system from Nangal Road to CHC	38	9-10	185590.00	208913.00	23323	12.5 6	Excess
16	Improvement of drainage system from Main Bazar to Moh. Darjian W. No.9	37	69-70	414394.00	345542.00	68852	16.6 1	Lesser
17	Improvement of Path from Una Road to near h/o B.S. Attri W. No. 1, Phase-ii	37	85	96739.00	122445.00	25706	26.5 7	Excess
18	Improvement of drainage system from Ghatte Wala Khuh to Moh. Nayian W. No. 8 (LHS))	37	81-82	368315.00	321796.00	46519	12.6 3	Lesser
19	Improvement of Drainage system from shop of Harbans Lal to Sabji Mandi (L.S.)	37	79-80	269679.00	223379.00	46300	17.1 6	Lesser
20	Improvement of Nallah near Om Enterprises along Haroli Road W. No. 4	37	77-78	245835.00	256027.00	10192	4.14	Excess
21	Improvement of street & draianage system from MC Park to	37	93-94	479724.00	521546.00	41822	8.71	Excess

	h/o Mohan Lal							
22	Improvement of Nallah along Sehjowal Road near Sabji Mandi W. No. 7	37	95-96	91596.00	117347.00	25751	28.1 1	Excess
23	precast Slabe on open drain in various wards	39	20	67070.00	67885.00	815	1.21	Excess
24	Extension of Nalla Moh. Sadha & Bus Stand W. No.3	39	18-19	48656.00	67885.00			
25	Improvement of drain near h/o Ram Kishan Moh. Darjian W. No. 9	39	16-17	95663.00	41830.00	53833	56.2 7	Lesser
26	Improvement of drain near h/o Parkash Chand Moh. Darjian W. No. 9	39	14-15	91933.00	46451.00	45482	49.4 7	Lesser
27	Improvement of Retaining Wal near Guatam Industery W. No.1	39	23-24	60480.00	60026.00	454	0.75	Lesser
28	Improvement of Drainage system near h/o Roop Lal W. No. 6	39	21-22	84273.00	52439.00		37.7 7	Lesser
29	Improvement of drain near Mohalla Khatiyan Una Road in W. No. 1	37	100	70377.00	78235.00	7858	11.1 6	Excess
30	Improvement of drainage system from Main Bazar to Moh. Darjian W. No.9	39	34-35	246376.00	266526.00	20150	8.17	Excess
31	Improvement of drainage system from Ghatte Wala Khuh to Moh. Nayian W. No. 8	39	32-33	472110.00	536098.00	63988	13.5 5	Excess
32	C/O Toilet Block near Old N.P. Office W. No. 4(1st Running Bill)	37-38	10--20 &17-32	699704.00	700043.00	339	0.04	Excess


A.C. (Audit)

81

65A